
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भ: कंडिका 1.2; पृष्ठ 1)

क.	सामान्य आंकड़े	विवरण	आंकड़े		
स.क्र.					
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या				
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़		
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
	ख.	जनसंख्या ⁴⁷ का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
4	गरीबी रेखा ⁴⁸ से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		31.70 प्रतिशत		
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	69.69 प्रतिशत		
	ख.	साक्षरता ⁴⁹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	69.30 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर ⁵⁰ (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2017)		47 प्रति 1000 जीवित बच्चे		
7	जन्म ⁵⁰ के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत 2012–16 में = 68.70 वर्ष)		65.40 वर्ष		
8	मानव विकास सूचकांक ⁵¹ (क. 2017=0.643) (ख. 2018=0.647)		0.375 (रैंक–20)		
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2018–19 वर्तमान मूल्य पर		₹8,09,327 करोड़		
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2018–19 स्थिर मूल्य पर		₹5,35,362 करोड़		
11	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2011–12 से 2018–19)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	12.75 प्रतिशत 10.99 प्रतिशत		
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2011–12 से 2018–19)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	14.40 प्रतिशत 12.23 प्रतिशत		
13	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2009 से 2019)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	15.79 प्रतिशत 12.46 प्रतिशत		
ख.	वित्तीय आंकड़े	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)		
			2009–10 से 2017–18	2013–14 से 2017–18	2017–18 से 2018–19
			सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य संवर्ग के राज्य
					मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्तियों के		15.03	15.91	13.54
ख.	स्वयं के कर राजस्व के		14.84	12.66	11.17
ग.	करेतर राजस्व के		9.88	4.48	7.48
घ.	कुल व्यय के		14.20	16.59	13.86
ङ.	पूंजीगत व्यय के		13.53	18.55	15.35
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के		13.44	18.06	10.69
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के		16.50	19.10	17.59
ज.	वैतन एवं मजदूरी के		11.72	10.67	10.47
झ.	पेंशन के		16.12	14.81	13.83
					11.87
					14.31
					29.00

(नोट: वित्तीय आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं)

⁴⁷ एम.ओ.एस.पी.आई. वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है— तालिका 2.3 सांख्यिकी वर्ष पुस्तक 2018

⁴⁸ आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (खण्ड II), पृष्ठ ए 168–169, तालिका 9.8

⁴⁹ आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (खण्ड II), पृष्ठ ए 164, तालिका 9.4

⁵⁰ आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (खण्ड II), पृष्ठ ए 160, तालिका 9.1

⁵¹ यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2019

परिशिष्ट 1.2 (भाग—क)
शासकीय लेखों की संरचना
(संदर्भ: कंडिका 1.3; पृष्ठ 2)

राज्य शासन के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I समेकित निधि: राज्य शासन द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती हैं जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती हैं। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III लोक लेखा: प्राप्त एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन—देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 (भाग—ख)
वित्त लेखों की रूपरेखा
(संदर्भ: कंडिका 1.3; पृष्ठ 2)

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग—1 शासन के संक्षिप्त वित्तीय विवरण और भाग—2 इनके विस्तृत विवरण प्रदर्शित करता हैं। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग—2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण पत्रक
3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण पत्रक
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण पत्रक
7	शासन द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्रक
8	शासन के निवेशों का विवरण पत्रक
9	शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक
10	शासन द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण पत्रक
11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण पत्रक
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक
14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
16	पूँजीगत व्यय का लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक
18	राज्य शासन द्वारा दिए गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक
19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक
20	शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन—देनों का विस्तृत विवरण पत्रक
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक

परिशिष्ट 1.2 (भाग—ग)

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में
किया गया है, की परिभाषा
(संदर्भ: कंडिका 1.3; पृष्ठ 2)

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
मापदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मापदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि}/\text{विगत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[$(\text{पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल कर्ज तथा अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा–ब्याज अदायगियां

परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार
 (संदर्भ: कंडिका 1.4; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
2017–18		2018–19	2017–18		2018–19
भाग—क: राजस्व					
1,34,875.39	I.	राजस्व प्राप्तियाँ	1,48,892.79	1,30,246.09	राजस्व व्यय
44,810.85		कर राजस्व	50,882.41	32,100.08	सामान्य सेवाएं
				58,346.18	सामाजिक सेवाएं
9,061.18		करेत्तर राजस्व	11,898.69	23,653.44	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
50,853.07		संघ करों में राज्य का भाग	57,487.01	6,408.88	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
4,408.12		आयोजनेतर अनुदान	4,920.33	17,317.45	जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास
23,163.80		राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	20,821.22	343.50	सूचना एवं प्रसारण
67.37		केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	17.13	3,356.73	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
2,511.00		राज्य के लिये अन्य अनुदान	2,866.00	356.04	श्रम तथा श्रमिक कल्याण
				6,657.75	समाज कल्याण एवं पोषण
				252.39	अन्य
				32,734.59	आर्थिक सेवाएं
				11,928.16	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप
				6,820.58	ग्रामीण विकास
				645.33	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण
				9,753.26	ऊर्जा
				1,959.95	उद्योग एवं खनिज
				1,102.25	परिवहन
				212.27	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण
				312.79	सामान्य आर्थिक सेवाएं
				7,065.24	सहायता अनुदान एवं अंशदान
	II.	भाग ख में अग्रेनित राजस्व घाटा		4,629.30	भाग ख में अग्रेनित राजस्व अधिशेष
1,34,875.39		योग	1,48,892.79	1,34,875.39	योग
					1,48,892.79

भाग—ख: अन्य						
प्राप्तियाँ			संवितरण			
2017–18		2018–19	2017–18		2018–19	
10,993.66	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	7,135.56		भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष	
19.35	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	13.04	30,913.22	पूँजीगत परिव्यय	29,424.19
				742.58	सामान्य सेवाएं	722.69
				5,358.38	सामाजिक सेवाएं	5,719.33
				688.34	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	942.35
				1,039.87	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,217.72
				2,364.24	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,732.49
				0.30	सूचना एवं प्रसारण	0.67
				1,061.28	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	738.17
				118.16	समाज कल्याण एवं पोषण	29.37
				86.19	अन्य सामाजिक सेवाएं	58.56
				24,812.26	आर्थिक सेवाएं	22,982.17
				396.32	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	1,879.28
				2,186.54	ग्रामीण विकास	3,218.49
				7,973.14	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	8,378.39
				7,479.57	ऊर्जा	2,272.48
				258.28	उद्योग एवं खनिज	272.49
				6,400.35	परिवहन	6,891.84
				4.00	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2.25
				114.06	सामान्य आर्थिक सेवाएं	66.95
5,069.53	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	69.88	1,550.20	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	1,089.66
				706.25	बिजली परियोजनाओं के लिए	385.25
				132.58	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिये	112.84
				346.16	उद्योग तथा खनिज के लिये	272.16
0.01		शासकीय कर्मचारियों से	0.01	--	शासकीय कर्मचारियों को	--
5,069.52		अन्यों से	69.87	365.21	अन्यों को	319.41
-0.05	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.75	-0.01	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1.05

प्राप्तियाँ			संवितरण		
2017–18			2018–19	2017–18	2018–19
4,629.30	VII	अधोनीत राजस्व अधिशेष	6,743.58	--	अधोनीत राजस्व घाटा
21,892.17	VIII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	32,497.42	5,776.38	लोक ऋण का पुनर्भुगतान
19,975.36		अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	25,325.26	4,683.53	अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण
--		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन	3,376.38	--	अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन
--		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन–देन	--	--	--
1,916.81		केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	3,795.78	1,092.85	केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान
--	IX	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग
--	X	आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	--	--	आकस्मिकता निधि से व्यय
1,71,664.83	XI	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,86,344.24	1,68,893.44	लोक लेखा संवितरण
3,416.80		अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ	4,570.80	2,736.37	अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ
2,257.81		आरक्षित निधियाँ	2,231.96	3,295.81	आरक्षित निधियाँ
1,23,314.51		उचंत तथा विविध	1,29,572.35	1,23,204.56	उचंत तथा विविध
17,659.89		प्रेषण	18,206.46	16,956.49	प्रेषण
25,015.83		जमा एवं अग्रिम	31,762.67	22,700.21	जमा एवं अग्रिम
	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष		7,135.56	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष
				--	खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण
				-693.65	रिजर्व बैंक में जमा ⁵²
				0.60	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष
				7,828.61	रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश
2,14,268.79		योग	2,32,804.47	2,14,268.79	योग
					2,32,804.47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁵² मार्च 2019 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹3,663.52 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹2,302.81 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹1,360.71 करोड़ (जमा) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

परिशिष्ट 1.4
2018–19 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना
(संदर्भ: कंडिका 1.6; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक / कमी (-)	अधिक / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें	1,55,886.47	1,48,892.79	-6,993.68	-4.49
स्वयं के कर राजस्व	54,655.24	50,882.41	-3,772.83	-6.90
राज्य माल एवं सेवा कर	20,108.00	18,508.50	-1,599.50	-7.95
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	11,500.00	9,903.20	-1,596.80	-13.89
राज्य उत्पाद शुल्क	9,000.00	9,542.15	542.15	6.02
वाहन कर	3,200.00	3,008.26	-191.74	-5.99
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,600.00	5,277.99	-322.01	-5.75
माल तथा यात्री कर	15.00	117.50	102.50	683.33
भू-राजस्व	1,200.00	383.91	-816.09	-68.01
अन्य कर	4,032.24	4,140.90	108.66	2.69
करेतर राजस्व	10,933.78	11,898.69	964.91	8.83
ब्याज प्राप्तियाँ	350.00	880.34	530.34	151.53
विविध सामान्य सेवाएं	920.00	773.18	-146.82	-15.96
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	4,100.00	3,933.56	-166.44	-4.06
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,955.06	2,366.39	411.33	21.04
वन्य एवं वानिकी	1,150.00	1,042.94	-107.06	-9.31
अन्य करेतर राजस्व	2,458.72	2,902.28	443.56	18.04
संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	59,489.92	57,487.01	-2,002.91	-3.37
भारत सरकार से सहायता अनुदान	30,807.53	28,624.69	-2,182.84	-7.09
राजस्व व्यय, जिसमें	1,55,623.91	1,42,149.21	-13,474.70	-8.66
सामान्य सेवाएं	40,675.24	38,112.57	-2,562.67	-6.30
सामाजिक सेवाएं	62,973.99	58,707.31	-4,266.68	-6.78
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	26,987.00	26,174.09	-812.91	-3.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7,018.47	6,520.71	-497.76	-7.09
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	15,211.01	13,476.75	-1,734.26	-11.40
सूचना एवं प्रसारण	365.43	384.09	18.66	5.11
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,148.86	3,257.02	-891.84	-21.50
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	733.45	1,212.32	478.87	65.29
समाज कल्याण एवं पोषण	8,222.60	7,460.41	-762.19	-9.27
अन्य	287.17	221.92	-65.25	-22.72
आर्थिक सेवाएं	44,822.73	37,657.67	-7,165.06	-15.99
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	16,344.43	15,602.67	-741.76	-4.54
ग्रामीण विकास	8,708.28	7,374.14	-1,334.14	-15.32
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	916.24	1,061.23	144.99	15.82
ऊर्जा	14,033.88	10,070.69	-3,963.19	-28.24
उद्योग एवं खनिज	2,646.46	2,104.29	-542.17	-20.49
परिवहन	1,535.27	1,027.06	-508.21	-33.10
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	305.50	178.04	-127.46	-41.72
सामान्य आर्थिक सेवाएं	332.67	239.55	-93.12	-27.99
सहायता अनुदान एवं अंशदान	7,151.95	7,671.66	519.71	7.27
पूँजीगत व्यय, जिसमें	29,342.83	29,424.19	81.36	0.28
सामान्य सेवाएं	921.50	722.69	-198.81	-21.57
सामाजिक सेवाएं	7,570.38	5,719.33	-1,851.05	-24.45
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,830.23	942.35	-887.88	-48.51
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,366.69	1,217.72	-148.97	-10.90

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक/ कमी (-)	अधिक/ कमी (-) प्रतिशत में
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,836.74	2,732.49	-104.25	-3.67
सूचना एवं प्रसारण	5.00	0.67	-4.33	-86.60
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,322.05	738.17	-583.88	-44.16
समाज कल्याण एवं पोषण	139.37	29.37	-110.00	-78.93
अन्य सामाजिक सेवाएं	70.30	58.56	-11.74	-16.70
आर्थिक सेवाएं	20,850.95	22,982.17	2,131.22	10.22
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	567.64	1,879.28	1,311.64	231.07
ग्रामीण विकास	3,142.42	3,218.49	76.07	2.42
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	8,656.84	8,378.39	-278.45	-3.22
ऊर्जा	2,178.03	2,272.48	94.45	4.34
उद्योग एवं खनिज	286.02	272.49	-13.53	-4.73
परिवहन	5,929.50	6,891.84	962.34	16.23
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	7.50	2.25	-5.25	-70.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	83.00	66.95	-16.05	-19.34
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	262.09	6,743.58	6,481.49	2,473.00
राजकोषीय घाटा (-)	-26,780.71	-23,687.65	3,093.06	-11.55
प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-)	-13,913.42	-10,991.96	2,921.46	-21.00

(स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट पुस्तिकाएं 2018–19)

परिशिष्ट 1.5
जेण्डर बजट के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक की कमी का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.1.1; पृष्ठ 12)

(₹ करोड में)

संक्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कमी	प्रावधान से कमी का प्रतिशत
लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल					
श्रेणी-2					
1	0581—उच्च माध्यमिक शालायें	1,573.18	1,251.24	321.94	20.46
2	0701—अतिथि शिक्षकों का मानदेय	185.90	183.37	2.53	1.36
3	2267—नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	110.00	95.41	14.59	13.26
4	2669—नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों का वेतन/ मानदेय	150.00	134.66	15.34	10.23
5	3491—माध्यमिक शालायें	2,534.33	1,702.38	831.95	32.83
6	4193—शास. विद्यालयों के 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यावसायीकरण	87.29	80.88	6.41	7.34
7	4395—शासकीय पुस्तकालय	19.32	8.50	10.82	56.00
8	4396—शासकीय प्राथमिक शालाओं की स्थापना	4,211.46	2,817.95	1,393.51	33.09
9	5133—विविध छात्रवृत्तियां	140.19	122.62	17.57	12.53
10	5541—शैक्षिक अभ्युत्थान	2.07	0.43	1.64	79.23
11	6005—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	750.00	446.10	303.90	40.52
12	6007—मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन, जिला खनिज प्रतिष्ठान का संचालन	97.02	12.92	84.10	86.68
13	6019—वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधिया	8.00	5.04	2.96	37.00
14	6968—शालाओं का उन्नयन	124.10	37.07	87.03	70.13
15	9949—अशासकीय शालाओं को अनुदान	500.00	361.75	138.25	27.65
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल					
श्रेणी-1					
1	8799—छात्रावास भवन निर्माण	17.50	0.00	17.50	100.00
2	7733—छात्रावास में चौकीदार कक्ष निर्माण	9.76	2.64	7.12	72.95
श्रेणी-2					
3	8810—सर्व शिक्षा अभियान	3,350.54	3,011.11	339.43	10.13
4	2267—नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	11.00	6.60	4.40	40.00
5	6484—आर.टी.आई. के तहत अशासकीय विद्यालयों के देयून फीस की प्रतिपूर्ति	310.00	176.70	133.30	43.00
विकास आयुक्त, भोपाल					
श्रेणी-2					
1	5131—मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	31.34	0.00	31.34	100.00
2	5198—प्रधानमंत्री आवास योजना	6,600.00	5,523.66	1,076.34	16.31
3	6923—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	2,500.00	2,035.19	464.81	18.59
4	6931—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	1,100.00	735.33	364.67	33.15
5	7886—मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	90.00	50.29	39.71	44.12
6	6836—राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका भिशन(एन.आर.एल.एम.)	633.00	210.72	422.28	66.71

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 1.6
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.7.2; पृष्ठ 13)

₹ करोड़ में

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893
(i) कर राजस्व	36,567(41)	40,214(38)	44,194(36)	44,811(33)	50,882(34)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
राज्य माल एवं सेवा कर	--	--	--	8,696 (19)	18,508(36)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,136(50)	19,806(49)	22,561(51)	14,984(33)	9,903(20)
राज्य उत्पाद शुल्क	6,695(18)	7,923(20)	7,533(17)	8,245(18)	9,542(19)
वाहन कर	1,824(5)	1,933(5)	2,252(5)	2,692(6)	3,008(6)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,893(11)	3,868(10)	3,925(9)	4,789(11)	5,278(10)
भू-राजस्व	243(1)	277(1)	407(1)	491(1)	384(1)
माल तथा यात्री कर	2,686(7)	3,085(8)	3,805(9)	1,159(3)	118(0)
अन्य कर	3,090(8)	3,322(8)	3,711(8)	3,755(8)	4,141(8)
(ii) करेतर राजस्व	10,375(12)	8,569(8)	9,086(7)	9,061(7)	11,899(8)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	24,107(27)	38,398(37)	46,064(37)	50,853(38)	57,487(39)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	17,592(20)	18,330(17)	23,963(20)	30,150(22)	28,625(19)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	28	26	24	19	13
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1	2	0	0	0
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	6,765	162	772	5,070	70
4. कुल राजस्व तथा ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	95,435	1,05,701	1,24,103	1,39,964	1,48,976
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	15,069	19,985	29,847	21,892	32,497
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	13,697	18,659	28,581	19,975	25,325
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	3,376
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,372	1,326	1,266	1,917	3,796
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,10,504	1,25,686	1,53,950	1,61,856	1,81,473
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	300	1	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,10,295	1,32,772	1,61,079	1,71,665	1,86,344
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	2,21,099	2,58,459	3,15,029	3,33,521	3,67,817
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	82,373(77)	99,771(83)	1,19,537(79)	1,30,246(80)	1,42,149(82)
सामान्य सेवाएं (व्याज अदायगियों सहित)	22,365(27)	25,700(26)	27,903(23)	32,100(25)	38,112(27)
सामाजिक सेवाएं	32,067(39)	42,651(43)	47,942(40)	58,346(45)	58,707(41)
आर्थिक सेवाएं	23,715(29)	25,529(25)	36,885(31)	32,735(25)	37,658(27)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	4,226(5)	5,891(6)	6,807(6)	7,065(5)	7,672(5)
11. पूंजीगत व्यय	11,878(11)	16,835(14)	27,288(18)	30,913(19)	29,424(17)
सामान्य सेवाएं	258(2)	549(3)	698(3)	743(3)	723(3)
सामाजिक सेवाएं	2,070(18)	3,024(18)	3,285(12)	5,358(17)	5,719(19)
आर्थिक सेवाएं	9,550(80)	13,262(79)	23,305(85)	24,812(80)	22,982(78)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	12,535(12)	3,158(3)	4,941(3)	1,550(1)	1,090(1)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1	2	1	0	1
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	1,06,787	1,19,766	1,51,767	1,62,709	1,72,664
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,921	4,860	4,925	5,776	13,524
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	4,084	3,948	3,908	4,683	8,999
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	3,376

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	837	912	1,017	1,093	1,149
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	300	--	--	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	1,12,008	1,24,626	1,56,692	1,68,485	1,86,188
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	1	--	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	1,08,165	1,28,337	1,58,242	1,68,893	1,83,377
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	2,20,174	2,52,963	3,14,934	3,37,378	3,69,565
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(–) / राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	6,268	5,740	7,781 ⁵³	4,629	6,744
22. राजकोषीय घाटा(–) / राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	-11,352	-14,065	-20,304 ⁵⁴	-22,745	-23,688
23. प्राथमिक घाटा(–) / अधिशेष(+) (22+24)	-4,281	-5,974	-11,225 ⁵⁵	-11,700	-10,992
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. व्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	7,071	8,091	9,079	11,045	12,696
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	18,668	22,656	32,379	36,462	36,735
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	25
लिया गया अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	25
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर व्याज	--	--	--	--	1.16
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁵⁶	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,08,688	1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309
30. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (व्याज सहित)	20,124	27,530	33,397	14,003	30,763
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	31,885	40,171	40,395	31,653	55,640
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	68	91	242	-	55
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	14,344	15,477	8,607	-	2,951
भाग ड. राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.62	7.43	6.81	6.15	6.29
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	2.16	1.58	1.40	1.24	1.47
केन्द्रीय अंतरण ⁵⁷ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.69	10.48	10.79	11.12	10.64
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पादकता (प्रतिशत)	1.89	1.91	1.70	6.70	0.77
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.25	22.13	23.39	22.34	21.33
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	120.47	113.51	123.08	120.64	115.97
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	77.14	83.30	78.76	80.05	82.33

⁵³ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजस्व अधिशेष ₹3,770 करोड़⁵⁴ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजकोषीय घाटा ₹27,664 करोड़⁵⁵ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर प्राथमिक घाटा ₹18,585 करोड़⁵⁶ वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिये शासन द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया⁵⁷ केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	21.18	21.93	18.85	20.28	22.53
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	31.98	38.16	33.80	39.28	37.46
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	42.88	34.99	42.86	36.10	35.57
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	11.12	14.06	17.98	19.00	17.04
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	10.88	13.60	17.52	18.54	16.62
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(−)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.31	1.06	1.20	0.64	0.83
राजकोषीय घाटा(−)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.37	-2.60	-3.13	-3.12	-2.93
प्राथमिक घाटा(−)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.89	-1.10	-1.73	-1.61	-1.36
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.69	16.94	17.02	16.37	16.00
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.65	23.49	24.01	23.67	24.01
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	122.62	120.50	126.35	127.79	130.50
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	80.35 (0.49)	129.64 (0.78)	231.50 (1.02)	622.36 (2.05)	347.26 (0.99)
वित्तीय परिस्पर्तियाँ/देयताएं	0.62	0.63	0.68	0.67	0.68

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्षक के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। शासकीय लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाए अनुसार शासकीय लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मर्दे अथवा प्राप्ति योग्य मर्दे अथवा मर्दे जैसे मूल्य ह्वास या स्टर्क में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए हैं। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए वैक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्बलित हैं।
- मार्च 2019 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹3,663.52 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹2,302.81 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹1,360.71 करोड़ (जमा) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने 2004-05 से वर्तमान तक राजस्व अधिशेष बनाए रखा है।

परिशिष्ट 1.7
(क) स्वयं के कर राजस्व 2014–19
 (संदर्भ: कंडिका 1.7.2.1; पृष्ठ 14)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	8,696	20,108	18,508
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,136	19,806	22,561	14,984	11,500	9,903
राज्य उत्पाद शुल्क	6,695	7,923	7,533	8,245	9,000	9,542
वाहन कर	1,824	1,933	2,252	2,692	3,200	3,008
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,893	3,868	3,925	4,789	5,600	5,278
भू-राजस्व	243	277	407	491	1,200	384
माल तथा यात्री पर कर	2,686	3,085	3,805	1,159	15	118
अन्य कर	3,090	3,322	3,711	3,755	4,032	4,141
योग (क)	36,567	40,214	44,194	44,811	54,655	50,882

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2018–19)

(ख) करेतर राजस्व 2014–19
 (संदर्भ: कंडिका 1.7.2.1; पृष्ठ 14)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	1,341	559	813	1,261	700	1,228
सामान्य सेवाएं	594	1,279	664	516	1,460	1,671
सामाजिक सेवाएं	3,696	1,784	2,338	1,609	2,311	2,781
आर्थिक सेवाएं	4,744	4,947	5,271	5,675	6,463	6,219
योग (ख)	10,375	8,569	9,086	9,061	10,934	11,899
महायोग (क+ख)	46,942	48,783	53,280	53,872	65,589	62,781

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2018–19)

परिशिष्ट 1.8

31 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश शासन की परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षेप स्थिति
 (संदर्भ: कंडिका 1.12.1; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2019 की स्थिति में
1,23,683.16	आन्तरिक ऋण—	1,40,009.31
83,816.25	ब्याज सहित बाजार कर्ज	98,817.00
0.39	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.33
43.07	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	33.73
17,028.19	अन्य संस्थाओं से कर्ज	17,276.95
22,795.26	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	23,881.30
निरंक	अर्थोपाय पेशागियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
14,741.06	केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—	17,388.60
1.88	1984–85 से पूर्व के कर्ज	1.88
31.88	आयोजनेतर कर्ज	28.28
14,707.30	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	17,358.44
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
14,331.30	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	16,577.33
14,096.28	जमा	14,260.20
5,927.73	आरक्षित निधियां	6,490.37
1,328.07	उचन्त तथा विविध शेष	650.90
1,587.66	प्रेषण शेष	2,229.91
1,76,195.26	योग परिसम्पत्तियां	1,98,106.62
1,85,264.11	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय—	2,13,157.55
30,377.19	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	35,240.10
1,54,886.92	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,77,917.45
41,469.42	कर्ज तथा अग्रिम	42,143.85
33,048.56	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	33,162.07
8,401.72	अन्य विकास कर्ज	8,962.65
19.14	शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	19.13
3.40	अग्रिम	3.40
--	प्रेषण शेष	--
7,135.56	रोकड़—	5,389.02
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
-693.65	रिजर्व बैंक में जमा	-3,663.52
0.60	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	-2.34
7,412.19	रोकड़ शेष निवेश	8,638.46

31.03.2018 की स्थिति में	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2019 की स्थिति में
416.42	आरक्षित निधि निवेश	416.42
-57,677.23	शासकीय लेखाओं में घाटा—	-62,587.20
-4,629.30	(i) वर्तमान वर्ष के राजस्व अधिशेष में कमी	-6,743.58
0.03	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.30
2.53	(ख) शासकीय लेखे में राशि का संवरण	2.30
-1,485.03	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा/अन्य समायोजन	1,831.01
--	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-51,565.46	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-57,677.23
1,76,195.26	योग	1,98,106.62

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 2.1

पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
2011-12	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74	135.10
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित): 23	
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 10 पूंजीगत (प्रभारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2 पूंजीगत (दत्तमत): 10	34.31
	01 विनियोग	पूंजीगत (प्रभारित): 21	
2014-15	03 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2, 6 पूंजीगत(दत्तमत): 42	446.28
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 41	
2016-17	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2	23.77
योग	10 अनुदान एवं 08 विनियोग		639.70

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण पत्रक
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	1	सामान्य प्रशासन (राजस्व प्रभारित)	57.87	25.68	44.38
2	1	सामान्य प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	73.49	34.61	47.09
3	3	पुलिस (पूँजीगत दत्तमत)	492.88	122.71	24.90
4	6	वित्त (राजस्व प्रभारित)	22.81	19.82	86.89
5	6	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	180.70	85.63	47.39
6	7	वाणिज्यिक कर (राजस्व दत्तमत)	2,814.65	788.29	28.01
7	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	161.14	66.85	41.49
8	10	वन (राजस्व दत्तमत)	2,359.93	759.19	32.17
9	10	वन (पूँजीगत दत्तमत)	1,225.64	388.79	31.72
10	11	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन (राजस्व दत्तमत)	465.01	172.45	37.09
11	12	ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	16,326.82	6,515.48	39.91
12	12	ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	3,826.83	1,527.71	39.92
13	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	16,864.45	7,118.31	42.21
14	14	पशुपालन (पूँजीगत दत्तमत)	18.89	10.51	55.64
15	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास (राजस्व दत्तमत)	91.62	18.42	20.10
16	17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	1,391.24	885.41	63.64
17	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व दत्तमत)	6,339.28	1,393.16	21.98
18	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	300.00	153.15	51.05
19	21	लोक सेवा प्रबंधन (राजस्व दत्तमत)	83.14	37.10	44.62
20	22	नगरीय विकास एवं आवास (राजस्व दत्तमत)	8,094.92	3,153.90	38.96
21	22	नगरीय विकास एवं आवास (पूँजीगत दत्तमत)	1,589.98	791.50	49.78
22	22	नगरीय विकास एवं आवास (पूँजीगत प्रभारित)	15.00	15.00	100.00
23	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल (राजस्व दत्तमत)	1,538.04	539.91	35.10
24	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल (पूँजीगत प्रभारित)	200.00	199.97	99.99
25	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (राजस्व दत्तमत)	1,1058.38	2,771.41	25.06
26	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	402.74	263.12	65.33
27	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	171.47	37.61	21.93
28	30	ग्रामीण विकास (पूँजीगत दत्तमत)	3,034.00	1,096.85	36.15
29	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	126.29	37.84	29.96
30	33	जनजातीय कार्य (राजस्व दत्तमत)	3,966.66	1,054.11	26.57

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
31	33	जनजातीय कार्य (पूँजीगत दत्तमत)	1,281.00	289.85	22.63
32	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (राजस्व दत्तमत)	755.55	254.45	33.68
33	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (पूँजीगत दत्तमत)	309.10	241.03	77.98
34	36	परिवहन (पूँजीगत दत्तमत)	45.75	36.55	79.89
35	37	पर्यटन (राजस्व दत्तमत)	155.49	51.90	33.38
36	38	आयुष (पूँजीगत दत्तमत)	23.20	13.60	58.62
37	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (राजस्व दत्तमत)	1,730.22	422.96	24.45
38	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	3,515.25	886.42	25.22
39	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (पूँजीगत दत्तमत)	572.55	357.22	62.39
40	43	खेल और युवक कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	75.78	27.69	36.54
41	44	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	2,174.06	545.29	25.08
42	44	उच्च शिक्षा (पूँजीगत दत्तमत)	477.84	143.03	29.93
43	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य (पूँजीगत दत्तमत)	782.89	159.51	20.37
44	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राजस्व दत्तमत)	300.16	126.68	42.20
45	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (राजस्व दत्तमत)	1,267.81	395.43	31.19
46	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (पूँजीगत दत्तमत)	339.21	147.24	43.41
47	48	नर्मदा धाटी विकास (राजस्व दत्तमत)	36.85	14.97	40.62
48	49	अनुसूचित जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	1,070.54	292.93	27.36
49	49	अनुसूचित जाति कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	291.30	92.32	31.69
50	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व (राजस्व दत्तमत)	257.58	68.52	26.60
51	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	34,568.78	7,589.70	21.96
52	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	215.98	143.73	66.55
53	55	महिला एवं बाल विकास (राजस्व दत्तमत)	5,276.57	1,082.23	20.51
54	55	महिला एवं बाल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	133.52	104.90	78.57
55	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूँजीगत दत्तमत)	1,000.00	200.00	20.00
56	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	116.93	40.80	34.89
57	65	विमानन (राजस्व दत्तमत)	38.10	10.31	27.06
58	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	26.75	16.64	62.21
59	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (राजस्व दत्तमत)	685.22	183.02	26.71
60	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूँजीगत दत्तमत)	403.68	150.34	37.24
61	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	32.65	19.57	59.94
योग			1,41,254.18	44,193.32	31.29

(स्रोत: 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
राजस्व—दत्तमत							
1	7—वाणिज्यिक कर	2,733.65	81.00	2,814.65	2,026.36	788.29	28.01
2	10—वन	2,197.73	162.21	2359.93	1,600.74	759.19	32.17
3	11—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	465.01	0.00	465.01	292.56	172.45	37.09
4	12—ऊर्जा	13,875.29	2451.53	16,326.82	9,811.34	6,515.48	39.91
5	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	9,071.74	7,792.71	16,864.45	9,746.14	7,118.31	42.21
6	17—सहकारिता	1,391.24	0.00	1,391.24	505.83	885.41	63.64
7	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,389.14	950.14	6,339.28	4,946.13	1,393.16	21.98
8	22—नगरीय विकास एवं आवास	3,471.11	4,623.81	8,094.92	4,941.02	3,153.90	38.96
9	24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1,505.97	32.07	1,538.04	998.13	539.91	35.10
10	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	9,073.92	1,984.47	11,058.38	8,286.98	2,771.41	25.06
11	33—जनजातीय कार्य	3,355.26	611.40	3,966.66	2,912.55	1,054.11	26.57
12	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	646.01	109.54	755.55	501.10	254.45	33.68
13	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,630.22	100.00	1,730.22	1,307.26	422.96	24.45
14	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	3,216.25	299.00	3,515.25	2,628.83	886.42	25.22
15	44—उच्च शिक्षा	1,767.13	406.93	2,174.06	1,628.77	545.29	25.08
16	46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	300.16	0.00	300.16	173.48	126.68	42.20
17	47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1,161.81	106.00	1,267.81	872.37	395.43	31.19
18	49—अनुसूचित जाति कल्याण	1,051.90	18.64	1,070.54	777.61	292.93	27.36
19	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	30,929.44	3,639.34	34,568.78	26,979.08	7,589.70	21.96
20	55—महिला एवं बाल विकास	4,702.31	574.26	5,276.57	4,194.34	1,082.23	20.51
21	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	640.13	45.09	685.22	502.20	183.02	26.71
पूंजीगत—दत्तमत							
22	3—पुलिस	336.90	155.98	492.88	370.17	122.71	24.90
23	10—वन	508.32	717.32	1225.64	836.86	388.79	31.72
24	12—ऊर्जा	3,286.63	540.20	3,826.83	2,299.12	1,527.71	39.92
25	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	300.00	0.00	300.00	146.85	153.15	51.05
26	22—नगरीय विकास एवं आवास	1,488.98	101.00	1,589.98	798.48	791.50	49.78
27	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	372.74	30.00	402.74	139.62	263.12	65.33

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
28	30—ग्रामीण विकास	2,884.00	150.00	3,034.00	1,937.15	1,096.85	36.15
29	33—जनजातीय कार्य	1,281.00	0.00	1,281.00	991.15	289.85	22.63
30	35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	79.10	230.00	309.10	68.07	241.03	77.98
31	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	572.55	0.00	572.55	215.33	357.22	62.39
32	44—उच्च शिक्षा	477.84	0.00	477.84	334.81	143.03	29.93
33	45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य	782.89	0.00	782.89	623.38	159.51	20.37
34	47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	339.21	0.00	339.21	191.98	147.24	43.40
35	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	154.80	61.18	215.98	72.25	143.73	66.55
36	55—महिला एवं बाल विकास	133.52	0.00	133.52	28.62	104.90	78.57
37	59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	500.00	500.00	1000.00	800.00	200.00	20.00
38	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	371.53	32.15	403.68	253.34	150.34	37.24
पूंजीगत—प्रभारित							
39	24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	200.00	0.00	200.00	0.03	199.97	99.98
योग		1,12,645.43	26,505.97	1,39,151.40	95,740.03	43,411.37	31.20

(स्रोत: 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.4
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान
(संदर्भ: कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 41)

₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
राजस्व—दत्तमत						
1	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	518.65 (21.06)	2,235.89 (63.36)	1,113.97 (26.77)	3,199.77 (38.17)	7,118.31 (42.21)
2	16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	26.88 (36.15)	19.11 (27.19)	25.11 (29.95)	22.07 (25.23)	18.42 (20.11)
3	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	95.39 (42.19)	67.30 (29.52)	80.97 (29.97)	168.68 (27.58)	254.45 (33.68)
4	48—नर्मदा घाटी विकास	19.07 (66.17)	7.78 (34.99)	8.29 (29.26)	24.02 (45.86)	14.97 (40.61)
5	63—अल्प संख्यक कल्याण	43.28 (63.28)	45.09 (71.60)	8.13 (32.51)	6.58 (34.27)	8.97 (35.63)
6	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	123.41 (23.45)	203.33 (31.57)	164.28 (24.79)	174.59 (25.53)	183.02 (26.71)
7	69—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	27.54 (28.89)	5.63 (45.04)	9.77 (51.46)	20.95 (55.73)	19.57 (59.94)
राजस्व—प्रभारित						
8	1—सामान्य प्रशासन	13.69 (31.25)	28.03 (39.81)	17.10 (26.81)	15.81 (30.25)	25.68 (44.37)
9	6—वित्त	12.40 (83.90)	15.53 (89.87)	7.06 (40.86)	17.62 (84.96)	19.82 (86.90)
पूजीगत—दत्तमत						
10	6—वित्त	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)	169.64 (94.34)	1,511.72 (89.08)	85.63 (47.39)
11	9—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	2.00 (100)	1.49 (49.60)	17.22 (100)	10.20 (100)	9.63 (95.34)
12	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)	110.37 (33.03)	515.58 (70.24)	263.12 (65.33)
13	38—आयुष	11.18 (54.94)	19.98 (63.44)	25.99 (61.62)	37.81 (81.31)	13.60 (58.63)
14	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6.12 (49)	47.29 (65.94)	110.15 (69.50)	251.06 (76.82)	357.22 (62.39)
15	42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	3.25 (82.97)	2.40 (72.87)	3.53 (63.66)	3.27 (60)	19.01 (100)
16	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (100)	3.00 (100)	3.00 (100)	20.28 (70.37)	1.92 (31.94)
17	64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	19.81 (79.24)	25.00 (98.24)	13.53 (66.04)	98.40 (87.08)	40.80 (34.90)
18	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)	96.78 (33.73)	150.29 (42.94)	150.34 (37.24)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5

योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	11.00	0.00	11.00	100
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-108-0117-परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	11.00	0.00	11.00	100
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	61.43	0.00	61.43	100
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6972- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	80.11	0.00	80.11	100
5	पी.डी.	लोक ऋण	6003-101-0716- विविध ऋण भुगतान	100.00	0.00	100.00	100
6	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779- कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
7	6	वित्त	2070-800-0101-0224- अन्य व्यय	693.73	0.00	693.73	100
8	6	वित्त	2071-01-101-9999- एकीकृत मध्य प्रदेश	18.53	0.00	18.53	100
9	6	वित्त	4070-800-0101-7624- एम.एस.एम.ई वेंचर केपिटल फण्ड में निवेश	15.00	0.00	15.00	100
10	6	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	0.00	50.00	100
11	6	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	10.00	0.00	10.00	100
12	7	वाणिज्यिक कर	2030-02-797-0817-पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण	475.00	0.00	475.00	100
13	7	वाणिज्यिक कर	2045-797-0550-2360- मध्य प्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि	54.00	0.00	54.00	100
14	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0101-5070-कम्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	20.60	0.00	20.60	100
15	10	वन	2406-01-102-1306-वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	28.32	0.00	28.32	100
16	10	वन	2406-01-102-0101-0833-नर्मदा नदी के किनारे वन भूमि पर वृक्षारोपण	15.00	0.00	15.00	100
17	10	वन	4406-01-190-5323-मध्यप्रदेश वन विकास निगम	195.00	0.00	195.00	100
18	12	ऊर्जा	2801-80-101-0101-0688-उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान	5,627.00	0.00	5,627.00	100
19	12	ऊर्जा	6801-205-1201-5523-कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	197.57	0.00	197.57	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
20	17	सहकारिता	2425-107-0101-9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर व्याज अनुदान	529.20	0.00	529.20	100
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0422-5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	28.00	0.00	28.00	100
22	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0422-7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	28.00	0.00	28.00	100
23	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0423-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	16.00	0.00	16.00	100
24	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0422-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	20.00	0.00	20.00	100
25	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0420-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	60.00	0.00	60.00	100
26	22	नगरीय विकास एवं आवास	4217-01-050-0101-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	15.00	0.00	15.00	100
27	23	जल संसाधन	4700-23-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	30.00	0.00	30.00	100
28	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	49.00	0.00	49.00	100
29	23	जल संसाधन	4701-80-001-1401-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	60.00	0.00	60.00	100
30	23	जल संसाधन	4701-80-001-0101-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	80.00	0.00	80.00	100
31	23	जल संसाधन	4701-80-800-0102-1911-कर्तंजिया मध्यम सिंचाई परियोजना	25.00	0.00	25.00	100
32	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	3054-04-337-0103-0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	24.00	0.00	24.00	100
33	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	3054-04-337-0102-4557-सुदृढ़ीकरण	40.00	0.00	40.00	100
34	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	5054-03-337-7081-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	50.00	0.00	50.00	100
35	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	5054-80-800-0103-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	32.00	0.00	32.00	100
36	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	5054-80-800-0102-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	40.00	0.00	40.00	100
37	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-4396-शासकीय प्राथमिक शालाओं की स्थापना	1,355.00	0.00	1,355.00	100
38	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0101-0730-माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	18.93	0.00	18.93	100
39	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-2068-इलेक्ट्रॉफिकेशन ऑफ स्कूल (मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना)	21.30	0.00	21.30	100
40	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0701-8810—सर्व शिक्षा अभियान	100.00	0.00	100.00	100
41	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101-2068-इलेक्ट्रॉफिकेशन ऑफ स्कूल (मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना)	21.30	0.00	21.30	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
42	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-04-800-0101-8799- छात्रावास भवन का निर्माण	25.00	0.00	25.00	100
43	30	ग्रामीण विकास	4515-800-0703-9216-प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	25.00	0.00	25.00	100
44	30	ग्रामीण विकास	4515-800-0702-9216-प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	25.00	0.00	25.00	100
45	30	ग्रामीण विकास	4515-800-0701-9216-प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	100.00	0.00	100.00	100
46	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-2773-प्राथमिक शालाएँ	204.00	0.00	204.00	100
47	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-3496-माध्यमिक शालाएँ	198.00	0.00	198.00	100
48	33	जनजातीय कार्य	2202-02-109-0581-हायर सेकेण्डरी शालाएँ	138.00	0.00	138.00	100
49	33	जनजातीय कार्य	2202-02-109-5216-हाइ स्कूल	18.00	0.00	18.00	100
50	33	जनजातीय कार्य	2225-02-227-0494-आश्रम	42.00	0.00	42.00	100
51	33	जनजातीय कार्य	4225-02-277-0702-1398-सीनियर छात्रावास	50.00	0.00	50.00	100
52	33	जनजातीय कार्य	4225-02-277-0702-6502-महाविद्यालयीन छात्रावास	12.00	0.00	12.00	100
53	33	जनजातीय कार्य	4225-02-277-0701-0495-जूनियर छात्रावास	10.00	0.00	10.00	100
54	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-60-110-0102-5614- जनश्री बीमा योजना	10.50	0.00	10.50	100
55	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-60-110-0101-5614- जनश्री बीमा योजना	17.50	0.00	17.50	100
56	36	परिवहन	5002-01-800-0101-5316-म.प्र. में रेल्वे परियोजनाओं में राज्य का अंशदान	25.75	0.00	25.75	100
57	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0102-2078- हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	14.50	0.00	14.50	100
58	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-1703-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	15.00	0.00	15.00	100
59	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-1701-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	20.00	0.00	20.00	100
60	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	4210-01-110-0101-0775-स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	13.91	0.00	13.91	100
61	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	90.00	0.00	90.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत	
62	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-800-0103-2377-मुख्यमंत्री कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	जन	15.00	0.00	15.00	100
63	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-800-0102-2377-मुख्यमंत्री कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	जन	20.00	0.00	20.00	100
64	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0103-0736-मुख्यमंत्री कौशल्या योजना		10.00	0.00	10.00	100
65	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0103-0740-मुख्यमंत्री कौशल्या संवर्धन		10.00	0.00	10.00	100
66	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0103-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	13.50	0.00	13.50	100
67	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0102-0736-मुख्यमंत्री कौशल्या योजना		10.00	0.00	10.00	100
68	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0102-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	18.90	0.00	18.90	100
69	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0101-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	57.60	0.00	57.60	100
70	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-02-104-0102-9236-एकलव्य पौलीटेक्निक संस्थाए		15.00	0.00	15.00	100
71	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-0103-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	24.00	0.00	24.00	100
72	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-0102-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	23.60	0.00	23.60	100
73	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-0101-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	72.40	0.00	72.40	100
74	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-41-001-0701-7258-बरगी व्यपर्वर्तन योजना (सी.ए.डी. प्लान)		50.00	0.00	50.00	100
75	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0701-6534-इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान		18.80	0.00	18.80	100
76	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-0102-5177-परियोजना का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान		25.00	0.00	25.00	100
77	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-001-0101-2046-चिंकी माइक्रो सिंचाई परियोजना		25.00	0.00	25.00	100
78	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-001-0101-5013-मोराच्छ गंजाल परियोजना		81.00	0.00	81.00	100
79	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-1952-नमामि देवी नर्मदे		10.00	0.00	10.00	100

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
80	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-2333.एन.बी. कपनी लिमिटेड का निवेश	300.00	0.00	300.00	100
81	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-6399-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-एक)	25.00	0.00	25.00	100
82	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-6403-इंदिरा सागर परियोजना यूनिट-एक का हिस्सा एन. एच.डी.सी. को भुगतान	25.00	0.00	25.00	100
83	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-109-0101-2292-उद्यानिकी भावान्तर योजना	250.00	0.00	250.00	100
84	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	109.32	0.00	109.32	100
85	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	103.97	0.00	103.97	100
86	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-1501-7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	13.52	0.00	13.52	100
87	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0701-0658-ऑगनबाड़ी सेवाएं	51.00	0.00	51.00	100
88	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	123.26	0.00	123.26	100
89	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0103-7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	20.00	0.00	20.00	100
90	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	76.26	0.00	76.26	100
91	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	61.39	0.00	61.39	100
92	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0701-2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	20.00	0.00	20.00	100
93	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4216-01-106-0701-2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	10.00	0.00	10.00	100
94	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4216-01-106-0102-1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	10.00	0.00	10.00	100
योग				15,058.70	0.00	15,058.70	100

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
 अनावश्यक सिद्ध हुए
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	1—सामान्य प्रशासन	430.52	429.89	0.63	95.33
2	2—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	86.90	78.42	8.48	2.45
3	3—पुलिस	6,470.20	6,416.69	53.51	269.40
4	5—जेल	336.55	328.54	8.01	12.63
5	6—वित्त	13,510.47	12,182.85	1,327.62	1.00
6	7—वाणिज्यिक कर	2,733.65	2,026.36	707.29	81.00
7	8—भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,469.02	1,385.51	83.51	184.65
8	10—वन	2,197.73	1,600.74	596.99	162.21
9	12—ऊर्जा	13,875.29	9,811.34	4,063.95	2,451.53
10	14—पशुपालन	991.87	849.94	141.93	50.00
11	16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	88.34	73.19	15.15	3.28
12	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,389.14	4,946.13	443.01	950.14
13	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	555.70	553.24	2.46	56.75
14	24—लोक निर्माण कार्य—सड़के और पुल	1,505.97	998.13	507.84	32.07
15	25—खनिज साधन	42.21	39.70	2.51	1.59
16	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	9,073.92	8,286.98	786.94	1,984.47
17	28—राज्य विधान मंडल	91.29	83.49	7.8	2.14
18	29—विधि और विधायी कार्य	1,333.68	1,224.75	108.93	172.98
19	31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	124.20	88.45	35.75	2.09
20	33—जनजातीय कार्य	3,355.26	2,912.55	442.71	611.40
21	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	646.01	501.10	144.91	109.54
22	35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	773.33	712.52	60.81	2.84
23	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,630.22	1,307.26	322.96	100.00
24	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	3,216.25	2,628.83	587.42	299.00
25	44—उच्च शिक्षा	1,767.13	1,628.77	138.36	406.93
26	47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1,161.81	872.37	289.44	106.00
27	49—अनुसूचित जाति कल्याण	1,051.90	777.61	274.29	18.64
28	51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व	247.58	189.06	58.52	10.00
29	52—चिकित्सा शिक्षा	930.96	906.75	24.21	141.00
30	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	30,929.44	26,979.08	3,950.36	3,639.34
31	55—महिला एवं बाल विकास	4,702.31	4,194.34	507.97	574.26
32	64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7,401.21	7,317.78	83.43	689.47

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
33	65—विमानन	34.56	27.79	6.77	3.54
34	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	640.13	502.20	137.93	45.09
	योग (क)	1,18,794.75	1,02,862.35	15,932.40	13,272.76
ख—पूँजीगत (दत्तमत)					
35	6—वित्त	175.70	95.07	85.63	5.00
36	12—ऊर्जा	32,86.63	2,299.12	987.51	540.20
37	14—पशुपालन	15.65	8.38	7.27	3.24
38	20—लोक स्वारक्ष्य यांत्रिकी	2,042.34	1,976.14	66.20	268.01
39	22—नगरीय विकास एवं आवास	1,488.98	798.48	690.50	101.00
40	23—जल संसाधन	5,014.29	5,008.08	6.21	346.00
41	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	372.74	139.62	233.12	30.00
42	30—ग्रामीण विकास	2,884.00	1,937.15	946.85	150.00
43	31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	156.70	140.50	16.2	5.17
44	35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	79.10	68.07	11.03	230.00
45	36—परिवहन	20.00	9.20	10.8	25.75
46	48—नर्मदा घाटी विकास	3,207.42	3,119.82	87.6	155.00
47	52—चिकित्सा शिक्षा	1,085.58	1,061.27	24.31	165.00
48	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	154.80	72.25	82.55	61.18
49	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	371.53	253.34	118.19	32.15
	योग (ख)	20,355.46	16,986.49	3,368.97	2,117.70
ग—राजस्व (प्रभारित)					
50	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	12,867.29	12,695.69	221.74	50.14
51	29—विधि और विधायी कार्य	169.33	133.86	35.47	2.14
	योग (ग)	13,036.62	12,829.55	207.07	52.28
	महायोग (क+ख+ग)	1,52,186.83	1,32,678.39	19,558.58	15,442.74

(झोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
 (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	9,071.74	7,792.71	9,746.14	7,118.31
2	18—श्रम	320.89	800.00	974.97	145.92
3	22—नगरीय विकास एवं आवास	3,471.11	4,623.81	4,941.02	3153.90
4	32—जनसंपर्क	407.08	99.87	418.15	88.80
5	38—आयुष	415.77	62.39	419.82	58.33
6	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	1,129.64	495.64	1,371.63	253.66
7	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2,310.73	230.08	2,450.00	90.81
8	59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	500.00	500.00	800.00	200.00
योग (क)		17,626.96	14,604.50	21,121.73	11,109.73
ख—पूँजीगत (दत्तमत)					
9	3—पुलिस	336.90	155.98	370.17	122.71
10	9—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	0.10	10.00	0.47	9.63
11	10—वन	508.32	717.32	836.86	388.79
12	17—सहकारिता	166.48	1,000.00	1,119.92	46.56
13	24—लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	6,028.50	1,597.00	6,891.81	733.69
14	26—संस्कृति	52.25	25.00	71.48	5.77
योग (ख)		7,092.55	3,505.30	9,290.71	1,307.15
महायोग (क+ख)		24,719.51	18,109.80	30,412.44	12,416.88

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय—मूल प्रावधान = $30,412.44 - 24,719.51 = 5,692.93$
 (स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R: पुनर्विनियोजन /समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
1	7	वणिज्यिक कर	2039-104-4173-स्पिरिट की खरीद	(O) 0.10 (R) (+) 2.40 2.50	1.12	(-) 1.38
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1703-7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	(R) (+) 6.00 6.00	1.80	(-) 4.20
3	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1702-7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	(R) (+) 10.00 10.00	3.00	(-) 7.00
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1701-7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	(R) (+) 12.00 12.00	3.60	(-) 8.40
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-1703-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	(R) (+) 4.00 4.00	1.20	(-) 2.80
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-0702-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	(R) (+) 10.00 10.00	3.00	(-) 7.00
7	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-1701-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	(R) (+) 14.00 14.00	4.20	(-) 9.80
8	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-102-0101-1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	(O) 28.60 (S) 27.75 (R) (+) 5.50 61.85	43.68	(-) 18.17
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01.102.0101.2219-नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	(O) 229.42 (R) (+) 23.90 253.32	250.61	(-) 2.71
10	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-101-0701-3862-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	(O) 8.02 (R) (+) 3.57 11.59	10.17	(-) 1.41
11	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0103-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(O) 16.00 (R) (+) 10.10 26.10	24.98	(-) 1.12
12	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0103-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(O) 16.00 (R) (+) 6.00 22.00	20.11	(-) 1.89
13	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0102-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(O) 20.00 (R) (+) 32.70 52.70	51.61	(-) 1.09
14	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0102-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(O) 20.00 (R) (+) 26.00 46.00	39.05	(-) 6.95
15	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0101-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(O) 64.00 (R) (+) 76.20 140.20	133.25	(-) 6.95

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R: पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
16	22	नगरीय विकास एवं आवास	2217-05-800-0701-1238- अटल मिशन फार रिजुविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	(O)655.00 (S)1328.39 (R) (+)22.75 2006.14	677.75	(-)1,328.39
17	23	जल संसाधन विभाग	2700-11-101-0101-2894-बांध तथा नहरें	(O)49.59 (R) (+)4.22 53.81	42.87	(-)10.94
18	23	जल संसाधन विभाग	2700-17-101-0101-2894-बांध तथा नहरें	(O)12.38 (R) (+)1.00 13.38	8.31	(-)5.07
19	23	जल संसाधन विभाग	2700-32-101-0101-2894-बांध तथा नहरें	(O)35.70 (R) (+)1.06 36.76	27.27	(-)9.49
20	23	जल संसाधन विभाग	2701-80-800-0102-2250-नहरें तथा तालाब	(O)20.01 (R) (+)1.57 21.58	12.67	(-)8.91
21	23	जल संसाधन विभाग	2701-80-001-0101-0814-कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)	(O)14.37 (R) (+)4.03 18.40	17.14	(-)1.26
22	23	जल संसाधन विभाग	4700-01-800-1201-6258-डेम रिहवीलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट	(O)3.00 R) (+)10.00 13.00	9.05	(-)3.95
23	23	जल संसाधन विभाग	4700-13-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)194.96 (R) (+)45.61 240.56	225.32	(-)15.25
24	23	जल संसाधन विभाग	4700-24-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)4.93 (R) (+)2.91 7.84	6.80	(-)1.04
25	23	जल संसाधन विभाग	4700-56-800-0102-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(R) (+)156.28 156.28	150.72	(-)5.56
26	23	जल संसाधन विभाग	4700-56-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)75.00 (S)60.00 (R) (+)208.50 343.50	325.12	(-)18.38
27	23	जल संसाधन विभाग	4700-63-800-0102-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(O)102.33 (R) (+)103.26 205.59	204.41	(-)1.19
28	23	जल संसाधन विभाग	4701-25-800-0102-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	(O)51.78 (R) (+)26.55 78.33	66.95	(-)11.38
29	23	जल संसाधन विभाग	4701-80-800-0101-0641-साजली मध्यम सिंचाई परियोजना	(O)40.00 (R) (+)104.44 144.44	142.99	(-)1.45
30	23	जल संसाधन विभाग	4701-91-800-0101-2884--नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)20.00 (R) (+)17.40 37.40	35.39	(-)2.01
31	23	जल संसाधन विभाग	4701-94-800-0101-6596-सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं पुर्णस्थापना	(O)0.10 (R) (+)12.50 1260	10.30	(-)2.30
32	23	जल संसाधन विभाग	4701-99-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(O)50.00 (R) (+)65.42 115.42	111.80	(-)3.61

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R:पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
33	33	जनजातीय कार्य	2225-02-102-0102-2324-आकांक्षा योजना	(R) (+)8.42 8.42	5.77	(-)2.65
34	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	4851-101-0101-6749-भू-अर्जन, सर्व एवं डिमार्केशन सर्विस चार्ज	(S)230.00 (R) (+)33.00 263.00	33.00	(-)230.00
35	44	उच्च शिक्षा	2202-03-104-0101-7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	(O)29.75 (S)20.00 (R) (+)58.00 107.75	103.12	(-)4.63
36	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425-60-600-0101-7608-सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन	(O)3.00 (R) (+)15.00 18.00	6.55	(-)11.45
37	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-02-101-0101-7877-म.प्र. रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन	(O)3.50 (R) (+)15.00 18.50	6.67	(-)11.83
38	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-1203-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)12.75 12.75	0.52	(-)12.23
39	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-1202-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)17.85 17.85	2.46	(-)15.39
40	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-1201-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)49.29 49.29	27.31	(-)21.98
41	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0101-6477-व्यवसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	(O)13.11 (R) (+)4.04 17.15	16.05	(-)1.10
42	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-1203-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)24.00 24.00	20.69	(-)3.31
43	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-1202-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)23.60 23.60	8.29	(-)15.31
44	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-1201-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)72.40 72.40	20.94	(-)51.46
45	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0103-1407-छेगांवमाखन उद्धवन सिंचाई परियोजना	(O)15.00 (R) (+)15.58 30.58	9.81	(-)20.77
46	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-001-0101-1298-नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक सिंचाई योजना	(O)75.00 (S)25.00 (R) (+)129.95 229.95	204.95	(-)25.00
47	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0103-0651-उज्जैन देवास उज्जैन पाइप लाइन योजना	(O)35.00 (S)10.00 (R) (+)74.96 119.96	110.25	(-)9.71
48	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0102-1250-अलीराजपुर उद्धवन सिंचाई परियोजना	(O)60.00 (S)25.00 (R) (+)210.89 295.89	270.89	(-)25.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R: पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
49	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-1002-भीकनगांव-बिंजलवाड़ा उद्धवन सिंचाई योजना	(O)10.00 (S)10.00 (R) (+)18.36 38.36	28.36	(-)10.00
50	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-1004-छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना	(O)60.00 (S)30.00 (R) (+)44.92 134.92	104.72	(-)30.19
51	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80.800.0101.1408-बिस्टान उद्धवन सिंचाई परियोजना	(O)75.00 (S)10.00 (R) (+)99.49 184.49	174.49	(-)10.00
52	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	(O)174.27 (R) (+)172.25 346.52	338.91	(-)7.61
53	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-8829-शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	(O)17.00 (R) (+)3.88 20.88	18.97	(-)1.90
54	49	अनुसूचित जाति कल्याण	4225-01-800-0803-5635-बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना	(O)1.00 (R) (+)22.50 23.50	20.45	(-)3.05
55	49	अनुसूचित जाति कल्याण	4225-01-800-0103-6101-संत रविदास स्मारक निर्माण	(R) (+)2.58 2.58	0.65	(-)1.93
56	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-109-0101-2378-कृषि समृद्ध योजना—प्याज एवं लहसुन फसल हेतु उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना	(O)484.40 (R) (+)372.08 856.48	855.01	(-)1.47
57	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-9075-विदिशा/शहडोल/खण्डवा चिकित्सा महाविद्यालय	(O)55.00 (R) (+)12.00 67.00	62.93	(-)4.07
58	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0420-9075-विदिशा/शहडोल/खण्डवा चिकित्सा महाविद्यालय	(O)144.00 (S)1.00 (R) (+)56.00 201.00	194.95	(-)6.05
59	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0101-7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड़स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	(O)25.05 (S)55.00 (R) (+)97.84 177.89	152.88	(-)25.01
60	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2853-02-198-0101-6299-ग्रमीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	(O)279.98 (R) (+)71.08 351.05	153.34	(-)197.71
61	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-197-0101-4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	(O)269.63 (R) (+)6.21 275.84	166.12	(-)109.72
62	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीडितों को राहत	(O)40.00 (R) (+)159.00 199.00	193.36	(-)5.64
63	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	(O)3.96 (R) (+)44.88 48.84	35.33	(-)13.51
64	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059-01-053-4220-चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय	(R) (+)20.00 20.00	13.20	(-)6.80

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R:पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
65	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-1217-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित से लिये गये ऋणों पर ब्याज	(O)39.00 (R) (-)4.22 34.78	161.10	(+)126.32
66	1	सामान्य प्रशासन	2052-090-4327-सचिवालय	(O)114.43 (S)15.66 (R) (-)32.43 97.66	100.28	(+)2.62
67	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-110-0103-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	(O)295.00 (S)151.46 (R) (-)322.75 123.71	124.77	(+)1.05
68	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-110-0102-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	(O)451.00 (S)231.68 (R) (-)517.73 164.95	166.37	(+)1.41
69	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-110-0101-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	(O)1,254.11 (S)643.51 (R) (-)1,361.06 536.56	540.78	(+)4.22
70	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-0801-0908-कृषि संगणना	(O)7.28 (R) (-)6.90 0.37	1.84	(+)1.46
71	23	जल संसाधन विकास	4700-84-800-0703-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)400.00 (R) (-)100.00 300.00	317.35	(+)17.35
72	23	जल संसाधन विकास	4700-12-001-0101-2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-एक एवं यूनिट-दो)	(O)17.04 (R) (-)1.07 15.97	19.33	(+)3.36
73	29	विधि और विधायी कार्य	2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	(O)37.50 (R) (-)34.08 3.42	5.42	(+)2.00
74	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0701-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)70.00 (R) (-)1.33 68.67	110.48	(+)41.81
योग						(-)2,407.52 (+)201.60

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9
2018–19 के दौरान सारभूत समर्पण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 45)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	(₹ करोड़ में) समर्पण प्रतिशत में
1	1	सामान्य प्रशासन	2012-03-102-9060-विवेकाधीन अनुदान	1.00	0.63	63.00
2			2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	24.02	16.31	67.90
3			4059-01-051-0101-6605-प्रशासन अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्माण	2.71	2.47	91.14
4	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2053-800-4062-विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण	1.05	0.59	56.19
5			2070-105-4079-विशेष जांच आयोग	4.88	2.81	57.58
6	3	पुलिस	4070-800-0101-7188-आपदा प्रबंधन के लिए निर्माण	1.00	0.70	70.00
7	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801-9981-लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय	1.43	0.89	62.24
8			2029-103-0101-5070-कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	20.60	20.60	100.00
9			2029-103-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	20.05	17.83	88.93
10			4059-01-051-0101-6980-भू-अभिलेख जिला प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (रा.नि./पटवारी आवास)	20.00	19.90	99.50
11	10	वन	2406-01-101-0102-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	172.47	102.96	59.70
12			2406-01-101-0101-0674-दीनदयाल वनांचल सेवा	5.20	3.08	59.23
13			2406-01-101-0101-2299-मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना	2.00	1.57	78.50
14			2406-01-101-0101-8808 -सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1.00	0.53	53.00
15			2406-01-102-1306-वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	28.32	18.36	64.83
16			2406-01-102-7680-संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय	66.00	46.82	70.94
17			2406-01-190-0701-7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	200.20	151.81	75.83
18			2406-02-110-0701-3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	70.00	42.81	61.16
19			4406-01-101-0102-7488-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	4.00	3.60	90.00
20			4406-01-101-0101-7488-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	5.00	4.24	84.80
21			4406-01-102-0102-3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	42.00	25.67	61.12

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
22	12	ऊर्जा	4801-05-190-0410-7900-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	90.00	72.00	80.00
23			4801-05-190-0101-6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	128.00	64.00	50.00
24			6801-190-0101-7900-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	415.47	389.47	93.74
25			6801-205-1201-0700-ग्रीन कोरीडोर	200.00	134.23	67.12
26	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-1201-0733-ग्रीन कृषि	2.80	2.80	100.00
27			2401-102-0703-7499-सब मिशन स्वाईल हेल्थ मैनेजमेंट	1.01	1.01	100.00
28			2401-102-0703-7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	9.90	9.51	96.06
29			2401-102-0702-7243-कृषि वानिकी सब मिशन	1.48	1.45	97.97
30			2401-102-0702-7499-सब मिशन स्वाईल हेल्थ मैनेजमेंट	1.68	1.68	100.00
31			2401-102-0702-7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	13.96	13.36	95.70
32			2401-105-0103-6666-नवीन खाद्य एवं बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला	1.48	1.44	97.30
33			2401-109-0701-7493-नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान	5.50	5.32	96.73
34			2401-109-0103-7670-कृषि महोत्सव	1.89	1.87	98.94
35			2401-109-0102-7670-कृषि महोत्सव	2.11	2.11	100.00
36			2401-109-0101-7670-कृषि महोत्सव	4.00	4.00	100.00
37			2401-110-0102-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	682.68	517.73	75.84
38			2401-110-0101-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	1,897.62	1,341.06	70.67
39			2401-113-0703-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	2.00	1.98	99.00
40			2401-113-0702-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	2.00	1.95	97.50
41			2401-113-0101-7080-कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	1.10	1.10	100.00
42			2401-800-0101-5321-भावांतर / फ्लेट रेट योजना	1,500.00	1,398.12	93.21
43	14	पशुपालन	2403-101-0101-7647- 109-चलित पशु कल्याण सेवायें	7.46	4.64	62.20
44			4403-101-0102-5561-पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	2.20	2.12	96.36
45			4403-101-0101-5093-पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण	2.92	1.62	55.48
46			4403-101-0101-5561-पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	2.50	1.97	78.80
47			4403-800-0101-7482- गौ अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र	2.20	2.20	100.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
48	17	सहकारिता	2425-107-0102-9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	27.96	25.11	89.81
49			2425-107-0101-9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	195.72	102.98	52.62
50			2425-800-0910-6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	20.00	14.00	70.00
51			4425-107-0910-6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	25.00	17.50	70.00
52			4425-107-0101-6684-नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूँजी सहायता	5.00	4.70	94.00
53	18	श्रम	2230-01-112-0101-2340-असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा	100.00	80.00	80.00
54			2230-01-112-0101-2837-बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना	2.26	1.30	57.52
55	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-1702-7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	69.82	43.94	62.93
56			4215-01-800-1701-7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	85.30	45.08	52.85
57			4215-01-800-0423-1414-खनिज क्षेत्र विकास निधि, खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था	104.24	82.20	78.86
58	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093-1201-7628- सर्वसेवा परियोजना का क्रियान्वयन	25.00	20.00	80.00
59			2053-800-1923-मॉय एम.पी. प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन हेतु अनुदान	2.00	1.46	73.00
60			2053-800-9079- म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	2.60	1.37	52.69
61			4059-01-051-6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	7.00	5.18	74.00
62	26	संस्कृति	2205-105-0101-4513-सार्वजनिक पुस्तकालय	1.40	1.03	73.57
63			4202-04-800-0101-7982-संगीत महाविद्यालय	2.00	2.00	100.00
64			4202-04-800-0101-9061-शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	2.00	1.34	67.00
65	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-3491-माध्यमिक शालायें	621.00	620.69	99.95
66			4202-01-201-0101-2068-इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल (मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना)	21.30	21.30	100.00
67			4202-04-800-0101-5481-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण	15.00	12.39	82.60

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
68	29	विधि और विधायी कार्य	2014-105-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	20.00	15.98	79.90
69			2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	37.50	23.08	61.55
70			2052-090-0101-9066-विधि विभाग के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	2.60	1.98	76.15
71			2052-800-1950-राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन	2.63	2.02	76.81
72			2235-60-200-0101-5104-स्थायी लोक अदालत	1.00	0.51	51.00
73	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-5612-विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढ़ीकरण	1.50	0.80	53.33
74	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-2773-प्राथमिक शालाएँ	204.00	204.00	100.00
75			2202-01-101-3496-माध्यमिक शालाएँ	198.00	198.00	100.00
76			2202-02-109-0581-हायर सेकण्डरी शालाएँ	138.00	138.00	100.00
77			2202-02-109-5216-हाई स्कूल	18.00	18.00	100.00
78			2225-02-001-0802-5155- योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275 (1)	6.13	5.20	84.83
79			2225-02-800-0802-3728-आदिवासी संस्कृति का अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	2.65	1.88	70.94
80			2225-02-800-0102-2346-मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु मेपसेट को अनुदान	5.00	4.50	90.00
81			2225-02-800-0102-4719-अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	1.20	1.04	86.67
82			2225-02-800-0102-9819—विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	1.20	0.78	65.00
83			2225-02-800-0102-9855-वन्या प्रकाशन	8.29	4.99	60.19
84			4225-02-277-0702-0494-आश्रम	20.00	10.33	51.65
85			4225-02-277-0702-1398-सीनियर छात्रावास	50.00	30.00	60.00
86			4225-02-277-0702-6502- महाविद्यालय छात्रावास	12.00	7.20	60.00
87			4225-02-277-0701-0495-जूनियर छात्रावास	10.00	6.00	60.00
88	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-02-001-0103-6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन	1.76	1.16	65.91
89			2235-02-001-0102-6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन	2.54	1.69	66.54
90			2235-02-001-0101-6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन	7.62	4.83	63.39

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
91			2235-60-110-0103-5247-आम आदमी बीमा योजना	3.60	3.60	100.00
92			2235-60-110-0103-5614-जनश्री बीमा योजना	7.00	7.00	100.00
93			2235-60-110-0102-5247-आम आदमी बीमा योजना	5.40	5.40	100.00
94			2235-60-110-0102-5614-जनश्री बीमा योजना	10.50	10.50	100.00
95			2235-60-110-0101-5247-आम आदमी बीमा योजना	9.00	9.00	100.00
96			2235-60-110-0101-5614-जनश्री बीमा योजना	17.50	17.50	100.00
97	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2851-102-0103-7891-रानी दुर्गावती सहायता योजना	1.49	1.07	71.81
98			2851-102-0102-7891-रानी दुर्गावती सहायता योजना	1.13	0.88	77.88
99			4851-800-0101-6820-वलस्टरों की स्थापना	3.00	2.90	96.67
100	37	पर्यटन	3452-01-101-0103-1251-पर्यटन अधोसंरचना का विकास	2.00	1.21	60.50
101			3452-80-001-0101-1271-पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	70.00	41.50	59.29
102			5452-01-101-0103-1251-पर्यटन अधोसंरचना का विकास	6.00	4.31	71.83
103	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0103-9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	2.20	2.20	100.00
104			2408-01-102-0102-9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	3.00	3.00	100.00
105			2408-01-102-0101-9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	4.80	4.80	100.00
106			2408-01-190-0101-6242-मिट्टी तेल के सार्वजनिक वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	2.30	2.30	100.00
107			6408-01-190-0173-अनाज का क्रय	1.50	1.08	72.00
108	40		2202-02-109-0702-6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	150.00	78.15	52.10
109		स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0103-2078-हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	9.20	9.20	100.00
110			2202-02-109-0103-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	20.30	14.20	69.95
111			2202-02-109-0102-0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	20.28	20.15	99.36
112			2202-02-109-0102-2078-हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	14.50	14.50	100.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
113			2202-02-109-0102-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	39.31	21.26	54.08
114			2202-02-109-0101-0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	47.15	38.37	81.38
115			2202-02-109-0101-2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	45.80	36.84	80.44
116			4202-01-202-1703-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	15.00	15.00	100.00
117			4202-01-202-1701-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	20.00	20.00	100.00
118			4202-01-202-0103-6970-शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार	101.44	71.91	70.89
119			4202-01-202-0101-0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	29.80	16.40	55.03
120			4202-202-0101-6970-शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार	255.76	139.64	54.60
121	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	4210-01-110-0101-0775-स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	13.91	13.91	100.00
122			4235-01-201-0701-6281-गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य	5.00	5.00	100.00
123	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-1203-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	30.00	28.00	93.33
124			2202-03-103-1202-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	18.00	16.65	92.50
125			2202-03-103-1201-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	40.00	26.00	65.00
126			2202-03-103-0103-0742- अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना	2.50	2.50	100.00
127			2202-03-103-0101-5674-निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क योजना	10.00	9.00	90.00
128	48	नर्मदा घाटी विकास	2801-01-001-0101-5018-बरगी केनाल बेडपावर हाउस के परिचालन एवं संधारण व्यय	2.00	1.26	63.00
129	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-7764-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	170.00	129.58	76.22
130	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-9248- किशोरी शक्ति योजना	3.30	3.30	100.00
131			2235-02-103-9132-ऊषा किरण केन्द्र (निराश्रित महिला गृह, सिलाई केन्द्र तथा महिलाओं के लिये संस्था)	9.94	7.91	79.58
132			2235-02-103-0801-1071-महिला हेल्प लाईन 181	1.15	1.15	100.00
133			2235-02-103-0701-1204-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	3.38	3.38	100.00
134			2235-02-103-0701-1422-ग्राम कन्वर्जेशन एवं सुविधा सेवा	2.00	2.00	100.00
135			2235-02-103-0701-2375-सेफ सिटी कार्यक्रम	1.75	1.75	100.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
136			2235-02-103-0103-5033—वैश्या उन्मूलन योजना	3.87	3.09	79.84
137			2235-02-800-0101-3457-मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (महिला कल्याण कोष के अन्तर्गत योजनाएं)	1.00	0.87	87.00
138			2236-02-101-0703-6392-किशोरी बालिका योजना	90.25	78.22	86.67
139			4235-02-102-1501-7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण	13.52	13.52	100.00
140			4235-02-102-0701-0658—आँगनबाड़ी सेवायें	51.00	51.00	100.00
141			4235-02-800-0701-6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	1.00	1.00	100.00
142			4235-02-800-0101-5608-महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	8.00	8.00	100.00
143	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	4851-107-0103-3777-रेशम उद्योग का विकास कार्य	2.94	2.25	76.53
144	65	विमानन	5053-80-800-0101-0690-अधोसंरचना एवं विमान पत्तन का विकास	1.00	1.00	100.00
145		लोक निर्माण कार्य—भवन	2059-01-053-1481-जिला प्रशासन	6.00	3.49	58.17
146			4059-01-051-0701-2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	20.00	20.00	100.00
147			4216-01-106-0701-2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	10.00	10.00	100.00
148			4216-01-106-0103-1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	8.00	6.40	80.00
149			4216-01-106-0102-1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	10.00	7.60	76.00
150			4216-01-106-0101-1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	22.62	15.16	67.02
151		विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	2225-01-277-0103-7393-विमुक्त जाति छात्रावास	12.26	7.18	58.56
152			2225-01-800-0103-7168-विमुक्त जाति आवास योजना	3.25	2.82	86.77
153			2225-01-800-0103-7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	3.45	3.45	100.00
154			2225-01-800-0101-7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	2.12	1.65	77.83
155			4225-01-800-0101-7397-विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	1.75	1.08	61.71
योग				9,265.03	7,304.68	78.84

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.10

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
(क) राजस्व (दत्तमत)			
1	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	59.21
2	23	जल संसाधन विभाग	143.72
3	25	खनिज साधन	4.10
4	32	जनसंपर्क	88.80
5	43	खेल और युवक कल्याण	25.34
6	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	39.25
7	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	126.68
8	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	395.43
9	62	पंचायत	24.88
10	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोत	15.89
11	71	पर्यावरण	6.08
12	72	आनंद	5.06
योग (क)			934.44
(ख) पूंजीगत (दत्तमत)			
13	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	153.15
14	22	नगरीय विकास एवं आवास	791.50
15	23	जल संसाधन विभाग	352.21
16	25	खनिज साधन	7.90
17	32	जनसंपर्क	4.33
18	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	159.51
19	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	5.25
20	63	अल्प संख्यक कल्याण	5.77
21	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	40.80
22	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	16.64
योग (ख)			1,537.06
(ग) राजस्व (प्रभारित)			
23	6	वित्त	19.82
24	25	खनिज साधन	56.33
योग (ग)			76.15
(घ) पूंजीगत (प्रभारित)			
25	22	नगरीय विकास एवं आवास	15.00
26	23	जल संसाधन विभाग	7.12
योग (घ)			22.12
महायोग (क+ख+ग+घ)			2,569.77

(झोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.11
समर्पित नहीं की गई ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 45)

₹ करोड़ में

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
(क) राजस्व (दत्तमत)					
1	1	सामान्य प्रशासन	95.96	81.41	14.55
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	10.94	4.60	6.34
3	3	पुलिस	322.91	282.21	40.70
4	5	जेल	20.63	0.29	20.34
5	6	वित्त	1,328.63	8.77	1,319.86
6	7	वाणिज्यिक कर	788.29	5.41	782.88
7	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	268.16	173.01	95.15
8	10	वन	759.19	569.98	189.21
9	11	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	172.45	0.40	172.05
10	12	ऊर्जा	6,515.48	1,892.68	4,622.80
11	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7,118.31	7,075.36	42.95
12	14	पशुपालन	191.93	138.99	52.94
13	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	18.42	1.46	16.96
14	17	सहकारिता	885.41	165.25	720.16
15	18	श्रम	145.92	86.28	59.64
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,393.16	5.33	1,387.83
17	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	59.21	0.00	59.21
18	22	नगरीय विकास एवं आवास	3,153.90	2.22	3,151.68
19	23	जल संसाधन विभाग	143.72	0.00	143.72
20	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	539.91	225.96	313.95
21	25	खनिज साधन	4.10	0.00	4.10
22	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2,771.41	2,767.86	3.55
23	29	विधि और विधायी कार्य	281.90	274.35	7.55
24	30	ग्रामीण विकास	197.34	195.62	1.72
25	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	37.84	31.56	6.28
26	32	जनसंपर्क	88.80	0.00	88.80
27	33	जनजातीय कार्य	1,054.11	785.65	268.46
28	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन	254.45	144.36	110.09
29	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	63.65	55.40	8.25
30	38	आयुष	58.33	26.51	31.82
31	43	खेल और युवक कल्याण	25.34	0.00	25.34
32	44	उच्च शिक्षा	545.29	511.20	34.09
33	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	39.25	0.00	39.25
34	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	126.68	0.00	126.68
35	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	395.43	0.00	395.43
36	49	अनुसूचित जाति कल्याण	292.93	256.57	36.36
37	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	253.66	0.81	252.85
38	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	68.52	0.42	68.10
39	52	चिकित्सा शिक्षा	165.21	2.10	163.11
40	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7,589.70	4,984.83	2,604.87
41	55	महिला एवं बाल विकास	1,082.23	1,068.35	13.88
42	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	38.72	15.38	23.34

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
43	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	90.81	1.29	89.52
44	62	पंचायत	24.88	0.00	24.88
45	63	अल्प संख्यक कल्याण	8.97	0.00	8.97
46	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	772.90	88.42	684.48
47	66	पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण	120.16	0.22	119.94
48	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	183.02	77.49	105.53
49	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	15.89	0.00	15.89
50	71	पर्यावरण	6.08	0.00	6.08
51	72	आनंद	5.06	0.00	5.06
योग (क)			40,595.19	22,008.00	18,587.19
(ख) पूंजीगत (दत्तमत)					
52	1	सामान्य प्रशासन	34.61	16.56	18.05
53	3	पुलिस	122.71	106.80	15.91
54	6	वित्त	85.63	35.98	49.65
55	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	66.85	19.90	46.95
56	10	वन	388.79	54.05	334.74
57	12	ऊर्जा	1,527.71	1,286.91	240.80
58	17	सहकारिता	46.56	38.04	8.52
59	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	153.15	0.00	153.15
60	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	334.20	269.24	64.96
61	22	नगरीय विकास एवं आवास	791.50	0.00	791.50
62	23	जल संसाधन विभाग	352.21	0.00	352.21
63	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्डर्भों और पुल	733.69	513.70	219.99
64	25	खनिज साधन	7.90	0.00	7.90
65	30	ग्रामीण विकास	1,096.85	795.53	301.32
66	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	21.37	10.80	10.57
67	32	जनसंपर्क	4.33	0.00	4.33
68	33	जनजातीय कार्य	289.85	268.77	21.08
69	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	241.03	6.24	234.79
70	36	परिवहन	36.55	2.50	34.05
71	38	आयुष	13.60	2.46	11.14
72	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	357.22	336.37	20.85
73	43	खेल और युवक कल्याण	27.69	0.20	27.49
74	44	उच्च शिक्षा	143.03	43.50	99.53
75	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	159.51	0.00	159.51
76	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	5.25	0.00	5.25
77	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	147.23	0.52	146.71
78	48	नर्मदा धाटी विकास	242.61	95.50	147.11
79	49	अनुसूचित जाति कल्याण	92.32	26.02	66.30
80	52	चिकित्सा शिक्षा	189.31	10.49	178.82
81	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	143.73	70.73	73.00
82	55	महिला एवं बाल विकास	104.90	103.42	1.48
83	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1.92	0.92	1.00
84	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	79.20	52.56	26.64
85	63	अल्प संख्यक कल्याण	5.77	0.00	5.77

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
86	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	40.80	0.00	40.80
87	66	पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण	16.64	0.00	16.64
88	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	150.34	74.67	75.67
योग (ख)			8,256.56	4,242.38	4,014.18
(ग) राजस्व (प्रभारित)					
89	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	221.74	4.22	217.52
90	1	सामान्य प्रशासन	25.68	14.64	11.04
91	6	वित्त	19.82	0.00	19.82
92	25	खनिज साधन	56.33	0.00	56.33
93	29	विधि और विधायी कार्य	37.61	36.35	1.26
योग (ग)			361.18	55.21	305.97
(घ) पूँजीगत (प्रभारित)					
94	23	जल संसाधन विभाग	7.12	0.00	7.12
योग (घ)			7.12	0.00	7.12
महायोग (क+ख+ग+घ)			49,220.05	26,305.59	22,914.46

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
समर्पण आदेश जो प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.1; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	13	3,11,25,31,46,47,52,53,56,58	922.72	वित्त वर्ष 2018–19 की समाप्ति के पश्चात् स्वीकृति जारी की गई थी।
2	4	5,23,45,53,62	1,394.60	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति अर्थात् लेखों को बंद करने एवं अंतिम रूप देने के पश्चात्।
3	2	10,53,56	164.16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में वांछित योजना शीर्षांगत वर्गीकरण का सम्पूर्ण विवरण अप्राप्त रहने के कारण।
4	1	10	99.94	समर्पित राशि योजनाशीर्ष 0812 में राशि पुनः अंतिम रूप से शामिल किये जाने के कारण राशि ₹99.94 करोड़ को विनियोग लेखे में ऋणात्मक प्रावधान के परिलक्षित होने की त्रुटि को दूर किये जाने हेतु स्वीकृति अमान्य।
5	1	39	1.78	योजनाशीर्ष में समर्पण राशि ₹1.78 करोड़ को शामिल किये जाने कि स्थिति में समर्पित राशियों के दोहरीकरण होने के परिणामस्वरूप ऋणात्मक बजट परिलक्षित होने के कारण अमान्य।
6	1	16,53	9.22	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समर्पण स्वीकृति अप्राप्त होने से अमान्य।
7	1	50,53	254.22	मध्य प्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जारी समर्पण स्वीकृत अप्राप्त होने से अमान्य।
8	1	2	23.24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में दर्ज आंकड़ों का अंक मिलान कराये बिना ही संशोधित समर्पण स्वीकृतियां जारी होने के कारण और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय की बचत राशि एवं विभाग की बचत में विसंगति होने के कारण समर्पण स्वीकृति मान्य नहीं है।
9	1	14	1.69	समर्पण हेतु राशि शेष न होने के कारण अमान्य।
योग	25	20	2,871.57	

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.13

पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अनुभाग का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ
बजट प्रावधान है एक करोड़ या अधिक था
(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन, भत्ते				
1	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	16.54	15.25
2	23	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	66.38	79.29
3	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	113.72	115.88
4	48	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.06	5.56
5	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन, भत्ते)	56.58	57.69
			258.28	273.67
उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी				
6	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	283.23	286.80
7	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	6.30	5.77
8	23	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	45.29	25.19
9	23	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6.36	4.42
10	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	33.07	28.61
11	48	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.53	2.92
12	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी)	9.72	8.38
			387.50	362.09
उद्देश्य शीर्ष 21—यात्रा भत्ता				
13	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 21—यात्रा भत्ता)	1.39	1.39
			1.39	1.39
उद्देश्य शीर्ष 22—कार्यालय व्यय				
14	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	5.75	5.58
15	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.65	1.45
16	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 22—कार्यालय व्यय)	2.37	2.03
			9.77	9.06
उद्देश्य शीर्ष 24—परीक्षा और प्रशिक्षण				
17	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 24—परीक्षा और प्रशिक्षण)	1.65	1.76
			1.65	1.76
उद्देश्य शीर्ष 31—वाणिज्यिक सेवाओं का भुगतान				
18	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	1.94	1.74
19	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.92	4.12
20	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 31—वाणिज्यिक सेवाओं का भुगतान)	4.61	3.49
			11.47	9.35
उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव				
21	26	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.00
22	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	75.09	74.99
23	48	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.56	1.47
24	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव)	4.21	4.59
			84.86	85.05
उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान				
25	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	480.16	360.44
26	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	2.70
27	27	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2.64	2.64
28	30	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान)	195.00	175.50
			680.80	541.28

सं. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 45—पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु सहायक अनुदान				
29	06	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	40.00	4.32
30	11	4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	77.00	77.00
31	26	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2.00	0.54
32	27	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	16.77	5.02
33	37	5452—पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	40.00	30.89
34	44	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	92.00	90.17
योग (उद्देश्य शीर्ष 45—पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु सहायक अनुदान)				267.77
(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)				207.94

परिशिष्ट 2.14

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीनें एवं वृहद् निर्माण कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण
पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था
(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनें				
1	1	2015—चुनाव	2.10	2.10
2	3	2055—पुलिस	162.23	161.36
3	5	2056—जेल	4.23	1.21
4	10	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	1.15	1.04
5	13	2401—फसल कृषि कर्म	14.08	14.08
6	19	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	39.67	16.20
7	29	2014—न्यायिक प्रशासन	1.80	1.83
8	32	2220—सूचना तथा प्रचार	2.50	1.65
9	43	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	5.91	5.14
10	44	2202—सामान्य शिक्षा	27.07	26.30
11	47	2203—तकनीकी शिक्षा	3.35	1.01
12	47	2230—श्रम तथा रोजगार	78.79	45.98
13	52	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1.00	0.78
14	56	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	3.34	2.44
15	64	2217—शहरी विकास	13.00	7.61
योग (उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनें)			360.22	288.73
उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् निर्माण कार्य				
16	20	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	8.50	3.98
17	39	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.20	1.20
18	47	2203—तकनीकी शिक्षा	6.00	0.00
योग (उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् निर्माण कार्य)			15.70	5.18

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.15
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भ: कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी– मार्च 2019	मार्च 2019
1	पी.डी.–भारित विनियोग–लोक ऋण	5856	1,075.00	1,075.00	1,075.00	100	100
2	पी.डी.–भारित विनियोग–लोक ऋण	5878	2,010.25	2,010.25	2,010.25	100	100
3	6–वित्त	1005	24.70	24.70	24.70	100	100
4	10–वन	5322	360.18	360.18	360.18	100	100
5	12–ऊर्जा	1284	134.64	134.64	134.64	100	100
6	12–ऊर्जा	5308	82.34	82.34	82.34	100	100
7	12–ऊर्जा	5309	253.21	253.21	253.21	100	100
8	12–ऊर्जा	7255	23.26	23.26	23.26	100	100
9	12–ऊर्जा	9133	189.90	189.90	189.90	100	100
10	13– किसान कल्याण तथा कृषि विकास	5321	101.88	101.88	101.88	100	100
11	17–सहकारिता	5318	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100
12	17–सहकारिता	6965	17.49	17.49	17.49	100	100
13	48–नर्मदा घाटी विकास	6818	11.00	11.00	11.00	100	100
14	64– नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5728	12.43	12.43	12.43	100	100
योग			5,296.28	5,296.28	5,296.28		

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.16

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 48)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (मूल+अनुप्रकर)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
24-लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल					
1	024-3054-04-337-0101-0134-19-003-(0134)-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	28.26	15.72	12.54	44
2	024-3054-04-337-0101-0134-33-001-(0134)-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	96.00	65.21	30.78	32
3	024-3054-04-337-0101-4557-33-001-(4557)-सुदृढ़ीकरण	128.00	94.34	33.66	26
4	024-3054-04-337-0102-0134-33-001-(0134)-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	30.00	14.69	15.31	51
5	024-3054-04-337-0102-4557-33-001-(4557)-सुदृढ़ीकरण	40.00	29.01	10.99	27
6	024-3054-04-337-0103-0134-33-001-(0134)-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	24.00	0.00	24.00	100
7	024-3054-04-800-0101-7081-33-001-(7081)-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	266.50	212.74	53.77	20
8	024-3054-04-800-0102-7081-33-001-(7081)-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	80.00	56.00	24.00	30
9	024-3054-80-001-9999-2418-11-001-(2418)-निष्पादन	90.02	51.91	38.11	42
10	024-5054-03-101-1203-2342-64-001-(2342)-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	43.00	6.15	36.85	86
11	024-5054-03-101-1403-5225-64-002-(5225)-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	22.00	4.88	17.12	78
12	024-5054-03-337-0802-0948-64-002-(0948)-केन्द्रीय सङ्केत निधि	150.00	23.15	126.85	85
13	024-5054-03-337-0803-0948-64-002-(0948)-केन्द्रीय सङ्केत निधि	120.00	64.56	55.44	46
14	024-5054-03-337-9999-7081-64-002-(7081)-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	50.00	0.00	50.00	100
15	024-5054-04-800-0101-4557-64-002-(4557)-सुदृढ़ीकरण	290.00	86.95	203.05	70
16	024-5054-04-800-0423-2457-64-002-(2457)-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	50.00	3.43	46.57	93
17	024-5054-04-800-1403-5226-64-002-(5226)-ग्रामीण सङ्केतों का निर्माण (नाबार्ड)	31.50	11.46	20.04	64
18	024-5054-05-337-1203-7368-64-001-(7368)-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सङ्केत निर्माण)	20.00	3.39	16.61	83
19	024-5054-80-800-0101-3115-62-001-(3115)-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	128.00	0.03	127.97	100
20	024-5054-80-800-0102-3115-62-001-(3115)-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	40.00	0.00	40.00	100
21	024-5054-80-800-0103-3115-62-001-(3115)-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	32.00	0.00	32.00	100

सं. क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
33- जनजातीय कार्य					
22	33-4225-02-102-0802-7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	230.40	142.70	87.70	38
23	33-4225-02-800-0802-5211-आई.टी.डी.पी. /मार्डा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	223.00	159.75	63.25	25
24	33-2202-01-101-9999-2773-प्राथमिक शालाएँ	204.00	0.00	204.00	100
25	33-2202-01-101-9999-3496-माध्यमिक शालाएँ	198.00	0.00	198.00	100
26	33-2202-02-109-9999-0581-हायर सेकण्डरी शालाएँ	138.00	0.00	138.00	100
27	33-2202-02-109-9999-5216-हाई स्कूल	18.00	0.00	18.00	100
28	33-2225-02-102-0102-2326-पीढ़ीटीजी आहार अनुदान योजना	270.00	198.98	71.02	26
29	33-2225-02-102-0102-7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	32.90	14.00	18.90	57
30	33-2225-02-277-0102-0494-आश्रम	93.70	66.10	27.60	29
31	33-2225-02-277-0102-1398-सीनियर छात्रावास	234.30	172.97	61.33	26
32	33-2225-02-277-0102-7763-अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	101.00	56.38	44.62	44
33	33-2225-02-277-0802-2676-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	150.00	106.47	43.53	29
34	33-2225-02-800-0802-6500-विशेष पिछड़ी जनजातीयों का विकास	90.33	64.24	26.09	29
35	33-4225-02-277-0702-0494-आश्रम	12.00	1.67	10.33	86
36	33-4225-02-277-0702-1398-सीनियर छात्रावास	30.00	0.00	30.00	100
कुल		3,811.92	1,753.90	2,058.02	54

(स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.17 (क)
प्रकरण जहाँ पुनर्विनियोजन प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ
(संदर्भ: कंडिका 2.4.4; पृष्ठ 49)

(₹ लाख में)

स.क्र.	वर्गीकरण	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक+ पुनर्विनियोजन)	व्यय	बचते
24-लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल						
1	024-5054-04-800-1403-5226-64-002-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबाड़)	1,650.00	1,500.00	3,150.00	1,145.51	2,004.49
33- जनजातीय कार्य						
2	33-2225-0102-1481-जिला प्रशासन	8,755.13	25.00	8,780.13	8,392.30	387.83
3	33-2225-6130-22-संचालनालय	50.34	3.26	53.60	48.74	4.86
4	33-2225-6130-31-संचालनालय	21.26	3.00	24.26	8.66	15.60
5	33-2225-0495-11-जूनियर छात्रावास	6,185.06	253.61	6,438.67	5,571.37	867.30
6	33-2515-5209-11-मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन	691.58	0.50	692.08	685.57	6.51
कुल		15,703.37	285.37	15,988.74	14,706.64	1,282.10
महायोग		17,353.37	1,785.37	19,138.74	15,852.15	3,286.59

(स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.17 (ख)
प्रकरण जहाँ पुनर्विनियोजन प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ
(संदर्भ: कंडिका 2.4.4; पृष्ठ 49)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	वर्गीकरण	बजट प्रावधान (मूल+ अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक+ पुनर्विनियोजन)	व्यय	बचतें	पुनर्विनियोजित राशि से बचत का प्रतिशत
24-लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल							
1	024-3054-80-001-9999-2418-11-001- निष्पादन	4,502.00	4,500.00	9,002.00	5,191.41	3,810.59	85
2	024-3054-80-001-9999-2418-11-003- निष्पादन	340.20	405.00	745.20	379.98	365.22	90
	योग	4,842.20	4,905.00	9,747.20	5,571.39	4,175.81	85
33- जनजातीय कार्य							
3	33-2202-3496-12-माध्यमिक शालाएँ	500.00	75.00	575.00	542.35	32.65	44
4	33-2202-0364-11-वशिष्ट संस्था आदर्श/गुरुकूलम /एकलव्य	1,307.4	90.80	1,398.20	1,321.76	76.44	84
5	33-2202-0364-12-वशिष्ट संस्था आदर्श/गुरुकूलम /एकलव्य	90.00	67.00	157.00	136.42	20.58	31
6	33-2202-0581-12-हायर सेकण्डरी शालाएँ	550.00	125.00	675.00	648.27	26.73	21
7	33-2202-5216-12-हाई स्कूल	200.00	86.00	286.00	268.47	17.53	20
8	33-2225-2324-42-आकांक्षा योजना	0.01	811.00	811.01	643.66	167.35	21
9	33-2225-0494-11-आश्रम	2,491.20	284.28	2,775.48	2,594.03	181.45	64
10	33-2225-0494-12-आश्रम	2,400.00	491.00	2,891	2,700.48	190.52	39
11	33-2225-0978-22-क्रीड़ा परिसर	65.96	13.00	78.96	68.62	10.34	80
12	33-2225-1398-11-सीनियर छात्रावास	7,501.40	982.18	8,483.58	8,035.63	447.95	46
13	33-2225-1398-19-सीनियर छात्रावास	279.00	107.24	386.24	355.18	31.06	29
14	33-2225-6502-12-महाविद्यालयीन छात्रावास	110.00	125	235.00	201.18	33.82	27
15	33-2225-8003-33-सेटेलाईट के माध्यम से शिक्षा	9.00	61.50	70.50	50.76	19.74	32
16	33-2225-9853-26-आदिवासी संस्कृति का परिक्षण एवं विकास	45.00	1000.00	1045.00	680.05	364.95	36
17	33-2515-2506-11-परियोजना मुख्यालय	1,959.50	80.36	2,039.86	1,981.69	58.17	72
18	33-4225-6502-64-महाविद्यालयीन छात्रावास	0.00	180.00	180.00	87.04	92.96	52
	योग	17,508.47	4,579.36	22,087.83	20,315.59	1,772.24	39
	महायोग	22,350.67	9,484.36	31,835.03	25,886.98	5,948.05	63

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय—मूल प्रावधान = 25,886.98 – 22,350.67 = 3,536.31

(झोत: बी.सी.ओ. द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.1
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में लंबित उपयोगिता
प्रमाण—पत्रों की स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 3.3.4; पृष्ठ 55)

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला कार्यालय	प्रारम्भ से आवंटन	प्रदायित उपयोगिता प्रमाण—पत्र	31 मार्च 2019 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र
1	जबलपुर	369.73	332.38	37.35
2	कटनी	71.66	42.67	28.99
3	छिन्दवाड़ा	183.45	171.01	12.44
4	मंडला	149.18	63.49	85.69
5	बालाघाट	99.59	63.31	36.28
6	सिवनी	129.92	100.47	29.45
7	नरसिंहपुर	87.81	55.06	32.75
8	उज्जैन	30.90	2.90	28.00
9	देवास	207.35	72.38	134.97
10	मंदसौर	141.32	115.32	26.00
11	रतलाम	87.30	55.29	32.01
12	नीमच	272.39	241.39	31.00
13	शाजापुर	100.42	39.87	60.55
14	सागर	167.93	141.93	26.00
15	छतरपुर	72.84	46.77	26.07
16	दमोह	202.96	68.34	134.62
17	पन्ना	88.65	3.56	85.09
18	टीकमगढ़	49.74	21.74	28.00
19	रीवा	105.70	78.73	26.97
20	सीधी	74.11	26.64	47.47
21	सिंगरौली	397.14	264.02	133.12
22	सतना	88.26	70.28	17.98
23	शहडोल	63.33	45.95	17.38
24	उमरिया	70.50	31.41	39.09
25	अनूपपुर	57.22	31.22	26.00
26	डिंडौरी	82.16	3.00	79.16
27	भोपाल	2,201.59	214.80	1,986.79
28	बैतूल	46.16	17.54	28.62
29	विदिशा	60.57	22.74	37.83
30	मंडीदीप (रायसेन)	80.53	21.50	59.03
31	राजगढ़	26.00	0.00	26.00
32	सीहोर	123.42	96.55	26.87
33	ग्वालियर	198.17	0.00	198.17
34	शिवपुरी	104.42	46.55	57.87
35	गुना	43.00	11.36	31.64
36	अशोक नगर	50.28	24.28	26.00
37	दतिया	35.03	0.00	35.03
38	मुरैना	83.33	23.54	59.79
39	भिण्ड	119.24	52.81	66.43
40	श्योपुर	80.73	35.83	44.90

स.क्र.	जिला कार्यालय	प्रारम्भ से आवंटन	प्रदायित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	31 मार्च 2019 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र
41	झंदौर	126.74	67.98	58.76
42	खण्डवा	45.10	0	45.10
43	बुरहानपुर	50.95	28.94	22.01
44	धार	60.39	3.09	57.30
45	खरगौन	50.80	29.03	21.77
46	झाबुआ	26.00	0.00	26.00
47	बड़वानी	52.74	13.58	39.16
48	होशंगाबाद	69.64	36.64	33.00
49	हरदा	173.68	141.59	32.09
50	अलीराजपुर	31.27	5.27	26.00
51	आगर मालवा	210.19	44.41	165.78
योग		7,601.53	3,127.16	4,474.37

परिशिष्ट 3.2
टी.डी.एस. कटौती और टी.ए.एन. कटौतीकर्ताओं का विवरण
(sंदर्भ: कंडिका 3.3.5; पृष्ठ 56)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	टी.ए.एन. कटौतीकर्ता	बैंक का नाम	कुल टी.डी.एस. की कटौती और जमा किया गया
1	बी.पी.एल01490जी	केनरा बैंक	10.68
2	बी.पी.एल03970बी	पंजाब नेशनल बैंक, बैरसिया रोड	0.61
3	बी.पी.एल.ए01392जी	इलाहाबाद बैंक	5.55
4	बी.पी.एल.ए02329एफ	इलाहाबाद बैंक	1.14
5	बी.पी.एल.बी01144डी	बैंक आफ बड़ौदा	2.03
6	बी.पी.एल.बी01401बी	बैंक आफ इण्डिया, जोनल कार्यालय	11.83
7	बी.पी.एल.बी01409सी	बैंक आफ बड़ौदा	0.05
8	बी.पी.एल.बी01418ई	बैंक आफ बड़ौदा	4.88
9	बी.पी.एल.बी02258ई	बैंक आफ महाराष्ट्रा	2.60
10	बी.पी.एल.बी03629डी	बैंक आफ महाराष्ट्रा	2.96
11	बी.पी.एल.बी03865बी	बैंक आफ बड़ौदा	2.15
12	बी.पी.एल.सी01069एफ	सेन्ट्रल बैंक, बंगरसिया	6.47
13	बी.पी.एल.सी01121बी	केनरा बैंक	0.37
14	बी.पी.एल.सी01158डी	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	10.74
15	बी.पी.एल.सी01312डी	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, दतिया	0.38
16	बी.पी.एल.सी01486सी	केनरा बैंक	0.61
17	बी.पी.एल.सी01488ई	केनरा बैंक	1.82
18	बी.पी.एल.सी01701ए	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	0.11
19	बी.पी.एल.सी02614डी	केनरा बैंक	0.05
20	बी.पी.एल.सी02723ए	केनरा बैंक शाखा माइक्रो फाइनेंस	0.34
21	बी.पी.एल.सी03153डी	केनरा बैंक बैरागढ़	2.54
22	बी.पी.एल.सी03241ए	केनरा बैंक	0.34
23	बी.पी.एल.आई 00379बी	इण्डियन ओवरसीज बैंक	0.84
24	बी.पी.एल.आई01220सी	इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	0.91
25	बी.पी.एल.आई01307एफ	इण्डियन ओवरसीज बैंक	10.44
26	बी.पी.एल.पी01424डी	पंजाब नेशनल बैंक, शाहपुरा	5.63
27	बी.पी.एल.पी01500सी	पंजाब नेशनल बैंक, जोनल कार्यालय	44.82
28	बी.पी.एल.पी01918ए	पंजाब नेशनल बैंक, हबीबगंज	11.46
29	बी.पी.एल.पी031331बी	पंजाब नेशनल बैंक	0.22
30	बी.पी.एल.पी03890एफ	पंजाब नेशनल बैंक, अयोध्या नगर	0.60
31	बी.पी.एल.एस03671डी	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बीकानेर	0.71
32	बी.पी.एल.एस05394ई	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, वल्लभ भवन	0.42
33	बी.पी.एल.एस09709ए	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पुराना सचिवालय	2.37
34	बी.पी.एल.एस11658डी	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, टीटी नगर	101.22
35	बी.पी.एल.एस12373ई	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सुल्तानिया रोड	0.00*
36	बी.पी.एल.यू01174एफ	यूको बैंक	4.35
37	एम.यू.एम.86163ए	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	146.76
38	दो बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, होशंगाबाद रोड, भोपाल और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैरागढ़ के उपलब्ध टीडीएस प्रमाण पत्र के अनुसार कुल टीडीएस राशि		110.85
योग			509.85

*274

परिशिष्ट 3.3
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0029—भू—राजस्व	383.91	193.31	50.35
2	0030—स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,277.99	927.71	17.58
3	0039—राज्य उत्पाद शुल्क	9,542.15	2,174.00	22.78
4	0043—विद्युत कर तथा शुल्क	2,616.29	434.32	16.60
5	0049—व्याज प्राप्तियाँ	880.34	733.25	83.29
6	0055—पुलिस	145.70	28.34	19.45
7	0056—जेल	3.65	3.65	100.00
8	0059—लोक निर्माण कार्य	151.75	151.43	99.79
9	0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं	355.97	39.90	11.21
10	0071—पेशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	222.35	47.87	21.53
11	0202—शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	2,366.39	2,320.98	98.08
12	0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	214.46	111.27	51.88
13	0211—परिवार कल्याण	0.23	0.22	95.65
14	0215—जल पूर्ति तथा सफाई	25.34	11.36	44.83
15	0217—शहरी विकास	15.00	15.00	100.00
16	0220—सूचना तथा प्रचार	0.38	0.31	81.58
17	0230—श्रम तथा रोजगार	27.18	3.00	11.04
18	0235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	11.66	10.37	88.94
19	0401—फसल कृषि—कर्म	62.14	44.81	72.11
20	0403—पशुपालन	2.73	1.48	54.21
21	0405—मछली पालन	9.94	4.36	43.86
22	0406—वानिकी तथा वन्य जीवन	1,042.94	544.19	52.18
23	0425—सहकारिता	8.40	3.04	36.19
24	0435—अन्य कृषि कार्यक्रम	1.92	1.60	83.33
25	0515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14.98	9.00	60.08
26	0700—मुख्य सिंचाई	37.08	14.83	39.99
27	0701—मध्यम सिंचाई	226.40	122.98	54.32
28	0702—लघु सिंचाई	545.03	545.03	100.00
29	0801—बिजली	190.33	190.33	100.00
30	0851—ग्राम तथा लघु उद्योग	88.13	9.51	10.79
31	0852—उद्योग	0.85	0.85	100.00
32	0853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,933.56	1,600.29	40.68
33	1054—सड़क एवं पुल	1.18	0.31	26.27
34	1452—पर्यटन	11.18	11.18	100.00
35	1601—केन्द्र सरकार से सहायतानुदान	28,624.68	24,200.27	84.54
36	10 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	91,850.58	321.29	0.35
	योग	1,48,892.79	34,831.64	23.39

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखें)

परिशिष्ट 3.4
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशत
1	2075—विविध सामान्य सेवाएं	26.38	25.44	96.44
2	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	166.98	107.83	64.58
3	2217—शहरी विकास	5,873.21	4,702.97	80.07
4	2245—प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,434.00	271.66	18.94
5	2250—अन्य सामाजिक सेवाएं	189.23	189.23	100.00
6	2401—फसल कृषि कर्म	11,064.14	7,514.31	67.92
7	2403—पशुपालन	874.64	103.85	11.87
8	2405—मछली पालन	75.43	9.33	12.37
9	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,751.23	725.01	15.26
10	2700—मुख्य सिंचाई	201.28	21.37	10.62
11	2701—मध्यम सिंचाई	679.61	112.66	16.58
12	2702—लघु सिंचाई	171.23	162.70	95.02
13	2705—कमान क्षेत्र विकास	9.11	5.13	56.31
14	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	917.03	616.54	67.23
15	2852—उद्योग	281.71	281.52	99.93
16	3054—सड़क तथा सेतु	1,026.27	212.37	20.69
17	3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	84.81	34.28	40.42
18	4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	369.87	50.00	13.52
19	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.62	4.62	100.00
20	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	942.35	124.23	13.18
21	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,006.14	602.45	30.03
22	4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	677.65	290.94	42.93
23	4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	738.17	434.75	58.90
24	4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	8.38	3.32	39.62
25	4408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	1.84	1.84	100.00
26	4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,218.49	2,617.79	81.34
27	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6,419.06	5,874.10	91.51
28	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	924.87	905.94	97.95
29	4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	932.07	308.69	33.12
30	4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	100.24	16.41	16.37
31	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,272.48	369.43	16.26
32	4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.20	0.69	57.50
33	4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	202.50	202.50	100.00
34	5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6,888.56	2,537.91	36.84
35	5425—अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.25	2.25	100.00
36	10 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष योग	1,18,036.37	1,232.53	1.04
		1,71,573.40	30,676.59	17.88

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.5
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 59)

₹ करोड़ में)

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र	
		संख्या	राशि
1	2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	2014—न्याय प्रशासन	375	1.55
3	2029—भू—राजस्व	104	1.20
4	2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
6	2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं	93	87.72
7	2075—विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
8	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
9	2205—कला एवं संस्कृति	01	0.15
10	2215—जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
11	2216—आवास	05	324.21
12	2217—शहरी विकास	684	321.34
13	2220—सूचना तथा प्रचार	35	1.50
14	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	306.42
15	2230—श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
16	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,143	748.03
17	2401—फसल कृषि—कर्म	3,090	439.99
18	2403—पशुपालन	495	201.86
19	2405—मछली पालन	3,359	10.48
20	2408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1,453	2,186.80
21	2425—सहकारिता	715	289.20
22	2702—लघु सिंचाई	280	12.55
23	2810—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	28	23.36
24	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	657	217.45
25	2852—उद्योग	2,987	187.07
26	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
27	3452—पर्यटन	185	81.05
28	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,268	8,711.00
29	4402—मुदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय योग	11	1.25
		20,278	14,470.62

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.6
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 60)

₹ लाख में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014—न्याय प्रशासन	02	10.53	-	-	01	2.41	-	-	-	-	-	-	03	12.94
2	2015—निर्वाचन	-	-	01	7.90	-	-	-	-	01	3.77	-	-	02	11.67
3	2040—वाणिज्यिक कर	01	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.70
4	2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन	-	-	05	799.21	-	-	-	-	01	18.25	05	12.97	11	830.43
5	2055—पुलिस	152	205.97	67	31.82	63	17.84	18	17.63	04	7.15	04	4.92	308	285.33
6	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	-	-	-	-	-	-	01	0.17	-	-	02	8.58
7	2202—सामान्य शिक्षा	12	269.48	22	65.79	21	329.19	10	19.92	03	1.21	36	27.05	104	712.64
8	2203—तकनीकी शिक्षा	04	28.25	03	2.57	07	17.16	03	7.64	-	-	-	-	17	55.62
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	1.25	02	2.95	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.20
10	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	01	2.29	02	8.11	02	13.89	02	5.45	02	21.21	01	4.63	10	55.58
11	2211—परिवार कल्याण	01	43.99	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.67	03	47.66
12	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	-	-	02	2.23	01	0.39	01	0.48	-	-	-	-	04	3.10
13	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	02	1.22	-	-	-	-	-	-	01	1.09	05	7.72	08	10.03

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
14	2230—श्रम तथा रोजगार	04	6.96	05	2.64	01	0.36	03	6.94	-	-	-	-	13	16.90
15	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	02	9.16	-	-	01	1.31	01	4.04	-	-	03	1.62	07	16.13
16	2401—फसल कृषि—कर्म	10	30.39	05	29.66	06	9.33	03	4.19	-	-	03	0.48	27	74.05
17	2403—पशुपालन	-	-	04	4.91	03	0.75	02	0.87	04	6.32	07	6.24	20	19.09
18	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	676	342.68	113	392.52	184	222.61	343	300.18	255	130.13	1,107	252.61	2,678	1,640.73
19	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-	-	-	-	01	42.31	-	-	02	1.34	01	2.91	04	46.56
20	2505—ग्राम रोजगार	-	-	01	0.00*	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.00
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	03	4.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.22
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	01	8.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.47	01	0.47
24	लोक निर्माण विभाग	-	-	01	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	01	3.50
योग		873	974.06	233	1,353.81	291	657.55	386	367.34	274	190.64	1,175	325.29	3,232	3,868.69

(योतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*नगण्य

परिशिष्ट 3.7
चोरी, दुर्विनियोग / शासकीय सामग्रियों की हानि के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 60)

₹ लाख में

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग / शासकीय सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014—न्याय प्रशासन	02	3.91	01	9.03	03	12.94
2	2015—निर्वाचन	01	7.90	01	3.77	02	11.67
3	2040—वाणिज्यिक कर	-	-	01	0.70	01	0.70
4	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन	04	447.66	07	382.77	11	830.43
5	2055—पुलिस	13	19.51	295	265.82	308	285.33
6	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	-	-	02	8.58	02	8.58
7	2202—सामान्य शिक्षा	42	67.84	62	644.80	104	712.64
8	2203—तकनीकी शिक्षा	11	12.46	06	43.16	17	55.62
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	0.45	02	3.75	03	4.20
10	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	03	5.28	07	50.30	10	55.58
11	2211—परिवार कल्याण	-	-	03	47.66	03	47.66
12	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	03	2.71	01	0.39	04	3.10
13	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	01	3.99	07	6.04	08	10.03
14	2230—श्रम तथा रोजगार	09	3.84	04	13.06	13	16.90
15	2235—महिला एवं बाल कल्याण	03	2.47	04	13.66	07	16.13
16	2401—फसल कृषि—कर्म	15	9.88	12	64.17	27	74.05
17	2403—पशुपालन	08	7.16	12	11.93	20	19.09
18	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	41	12.02	2,637	1,628.71	2,678	1,640.73
19	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.44	03	46.12	04	46.56
20	2505—ग्राम रोजगार	-	-	01	0.00*	01	0.00*
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	01	0.12	02	4.10	03	4.22
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	-	-	01	8.56	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	01	0.47	-	-	01	0.47
24	लोक निर्माण विभाग	01	3.50	-	-	01	3.50
योग		161	611.61	3,071	3,257.08	3,232	3,868.69

(झोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*नगण्य

परिशिष्ट 3.8
2018–19 के दौरान अपलेखित प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 61)

₹ लाख में

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2055—पुलिस	पुलिस महानिदेशक, भोपाल	दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन एवं वायरलेस सेट	23	21.53
2	2202—सामान्य शिक्षा	संचालक, लोक शिक्षा, भोपाल	चोरी के कारण हानि	04	1.06
3	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	अतिरिक्त पीसीसीएफ, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	19	1.16
योग				46	23.75

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.9
2018–19 के दौरान हानि के प्रकरणों में सूचित की गई वसूली
 (संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 61)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग / हानि / चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	02	2055—पुलिस	हानि	2002-03	1,25,000	1,25,296
2	02	2055—पुलिस	हानि	2005-06	23,070	24,580
3	04	2055—पुलिस	हानि	2006-07	1,02,797	93,702
4	01	2055—पुलिस	हानि	2007-08	4,701	4,705
5	01	2055—पुलिस	हानि	2011-12	38,419	5,000
6	01	2055—पुलिस	हानि	2014-15	65,745	38,527
7	02	2055—पुलिस	हानि	2015-16	69,680	69,680
8	02	2055—पुलिस	हानि	2016-17	1,37,000	1,39,519
9	01	2055—पुलिस	हानि	2017-18	54,680	54,680
	16	योग			6,21,092	5,55,689
10	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1975-76	11,862	11,862
11	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1987-88	7,500	5,790
12	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1988-89	1,586	1,586
13	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1992-93	18,629	18,629
14	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1993-94	540	540
15	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1994-95	2,216	2,216
16	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1997-98	31,681	31,681
17	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1998-99	77,341	77,341
18	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2002-03	84,900	84,900
19	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2012-13	49,440	49,440
20	03	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2015-16	9,521	9,521
21	22	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2016-17	1,05,605	1,05,605
22	106	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2017-18	1,67,550	1,67,550
23	344	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2018-19	11,11,844	11,11,844
24	44	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2019-20	39,215	39,215
	529	योग			17,19,430	17,17,720*
	545	कुल योग			23,40,522	22,73,409*

(झोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

*हानि की राशि एवं वसूल की गई राशि में अंतर विभाग द्वारा आंशिक राशि के अपलेखन के कारण है।

परिशिष्ट 3.10
बैंक खातों का विवरण
 (संदर्भ: कंडिका 3.11; पृष्ठ 64)

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	राशि
1	कार्यालय जिलाध्यक्ष, अलीराजपुर	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	63037691496	359.34
2	कार्यालय जिलाध्यक्ष, धार	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	655001015469	142.91
3	कार्यालय जिलाध्यक्ष, बालाघाट	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10750414219	147.86
4	कार्यालय जिलाध्यक्ष, टीकमगढ़	पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक आफ इण्डिया	6599000100014605 11084743822	5.96 213.80
5	कार्यालय जिलाध्यक्ष, सागर	बैंक आफ इण्डिया	942410100030516 942410210000012	58.67 2.53
6	कार्यालय जिलाध्यक्ष, झाबुआ	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	53031693971	85.39
7	कार्यालय जिलाध्यक्ष, देवास	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	53012945833	151.77
8	कार्यालय जिलाध्यक्ष, सतना	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10633015606	262.30
9	कार्यालय जिलाध्यक्ष, रतलाम	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10478452733	147.47
योग				1,578.00

(ओत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

परिशिष्ट 3.11

शहरी स्थानीय निकायों के बैंक खातों में निधियों के अवरुद्ध होने का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.11.2; पृष्ठ 65)

(₹ लाख में)

संक्र.	इकाई	योजना का नाम	अवरुद्ध राशि	टिप्पणी
1	नगर निगम, खण्डवा	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	4.11	कोषालय पोर्टल से संचालित
		निःशक्त एवं बहुविकलांग योजना	8.50	कोषालय पोर्टल से संचालित
2	नगर पालिका परिषद, धनपुरी, शहडोल	बारहवां वित्त आयोग	88.47	योजना बंद
3	नगर निगम, जबलपुर	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	12.31	कोषालय पोर्टल से संचालित
		इन्दिरा गाँधी वृद्धा पेंशन	26.32	कोषालय पोर्टल से संचालित
		इन्दिरा गाँधी विधवा पेंशन	40.75	कोषालय पोर्टल से संचालित
		सामाजिक न्याय पेंशन (निःशक्त)	13.52	कोषालय पोर्टल से संचालित
4	नगर परिषद, अकोड़ा, भिण्ड	पेंशन योजना	11.39	कोषालय पोर्टल से संचालित
5	नगर परिषद, गोविन्दगढ़, रीवा.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)	1.27	योजना बंद
		बारहवां वित्त आयोग	4.44	योजना बंद
		पेंशन योजना	19.20	कोषालय पोर्टल से संचालित
6	नगर परिषद, चाकघाट, रीवा	बी.आर.जी.एफ.	0.12	योजना बंद
		बारहवां वित्त आयोग	3.73	योजना बंद
		पेंशन योजना	2.35	कोषालय पोर्टल से संचालित
		मध्याह्न भोजन	0.79	लंबे समय से असंचालित
		सर्व शिक्षा	1.18	लंबे समय से असंचालित
		स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना	0.96	लंबे समय से असंचालित
		लघु और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.)	58.60	लंबे समय से असंचालित
7	नगर परिषद, गुढ़, रीवा	बी.आर.जी.एफ.	32.03	योजना बंद
		बारहवां वित्त आयोग	26.68	योजना बंद
		आई.डी.एस.एम.टी.	37.20	योजना बंद
8	नगर पालिका परिषद, बिजुरी, अनूपपुर	बी.आर.जी.एफ.	102.75	योजना बंद
		पेंशन योजना	8.71	कोषालय पोर्टल से संचालित
9	नगर परिषद, पसान, अनूपपुर	बी.आर.जी.एफ.	15.01	योजना बंद
योग			520.39	

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

